हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 सितम्बर, 2003

खण्ड-2, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 10 सितम्बर, 2003

	पृष्ठ संख्या
अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत	(2)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मल्लाह, जिला पंचकूला के विद्यार्थियों का स्वागत	(2)7
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2)7
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)22
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— गन्ना उत्पादकों के बकाया संबंधी	(2)45
वाक-आउट	(2)47
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— गन्ना उत्पादकों के बकाया संबंधी (पुनरारम्भ)	(2)47
वाक-आउट	(2)51
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— गन्ना उत्पादकों के बकाया संबंधी (पुनरारम्भ)	(2)52
सदस्य का नाम लेना	(2)52
वक्तव्य— कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(2)52
वाक-आउट	(2)61
वक्तव्य— कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ)	(2)61

मूल्य : 81

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	(2)63
हरियाणा में एड्स के फैलने संबंधी	(2)64
वक्तव्य—	
स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी	(2)68
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)69
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2)69
वाक-आउट	(2)70
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(2)70
विधान कार्य—	
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2003	(2)70
(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 2003	(2)72
(iii) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 2003	(2)73
(iv) दि हरियाणा लोकल एरिया डिवल्पमैंट टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2003	(2)74
(v) पंजाब एन्टरटेनमैंटस डयूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003	(2)76
(vi) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2003	(2)77
(vii) दि पंजाब शिडयूल्ड रोडज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003	(2)79
(viii) दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरीफेरी) (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003	(2)80
(ix) दि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बिल, 2003	(2)82
(x) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2003	(2)83

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 10 सितम्बर, 2003

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरनाम दास जौहर का विधान सभा की कार्यवाही देखने आने के लिए स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल-जवाब होंगे।

Augmentation of Water Supply Scheme

***1480. Sh. Bhagi Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of towns in the State in which water supply schemes have been augmented and commissioned during the year 2002-2003, 2003-2004 till date ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : श्रीमान जी, वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 में अब तक नौ शहरों क्रमश: तावडू रतिया, इन्द्री, नूंह, फिरोजपुर झिरका, हेली मण्डी, नारायणगढ़, सोनीपत व भिवानी की जल सप्लाई योजनाओं में वृद्धि करके चालू कर दी गई हैं।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में अब कितने ऐसे गांव बाकी हैं जहां पर पानी की सुविधा पूरी तरह से नहीं है। दूसरा मेरा इनसे सवाल यह भी है कि हरियाणा के कितने ऐसे गांव हैं जिनमें 70 लिटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने की व्यवस्था है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, वैसे तो मेरे माननीय साथी श्री भागी राम जी का मूल प्रश्न शहरों से सम्बन्धित है। इनका प्रश्न विशेष तौर पर शहरों पर ही इंगित है। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में जिन गांवों में तीस लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पानी दिया जा रहा है वह 490 गांव हैं और जिन गांवों में पानी तीस लिटर से 39 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है वह 1623 गांव हैं। इसी तरह से चालीस लिटर से पचपन लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जिन गांवों को पानी दिया जा रहा है उनकी संख्या 3219 है और ऐसे ही 56 लिटर से 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जिन गांवों को पानी दिया जा रहा है उनकी संख्या 1427 है इस तरह

[श्री राम पाल माजरा]

से कुल मिलाकर 6759 गांव हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह पूछा है कि कितने गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं है। स्पीकर सर, पानी तो है लेकिन तीस लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम जहां पर पानी दिया जा रहा है वह 490 गांव हैं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरे हल्के बेरी में एक सिवाना गांव है इस गांव में आज भी दूसरे जिलों के हिसाब से बहुत कम पानी दिया जा रहा है। वहां पर एक भटका प्रति व्यक्ति के हिसाब से रोजाना पानी दिया जा रहा है। इस प्रकार से वहां पर बहुत कम वाटर सप्लाई है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, एक-एक गांव का जवाब देना फिजीकली संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बैठें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, सिवाना गांव ऐसा है जहां पर बहुत कम वाटर सप्लाई दी जा रही है। यह बहुत सीरियस मामला है। मंत्री जी बताएं कि क्या वहां पर समुचित वाटर सप्लाई की व्यवस्था करवायी जाएगी?

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, सी०पी०एस० महोदय ने पीने के पानी के बारे कस्बों के साथ-साथ गांवों की संख्या भी विस्तार से बतायी है। हरियाणा सरकार की एक रैनीवैल योजना है जो 405 करोड़ रुपये की है। यह योजना विशेष कर तावडू, नूंह और फिरोजपुर झिरका से भी संबंधित है। स्पीकर सर, हरियाणा सरकार प्राथमिकता के आधार पर जो पेयजल की सुविधा प्रदान कर रही है उससे मैं समझता हूँ कि सारे गांवों और विशेष रूप से मेवात के इलाके में पीने के पानी की सुविधा लोगों को मिल सकेगी। क्या सी०पी०एस० महोदय रैनीवैल योजना के बारे में बताने का कष्ट करेंगे?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक शहरों का प्रश्न है, माननीय साथी ने नूंह, सोहना, फिरोजपुर झिरका की बात की है स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में नोटीफाईड और डी-नोटीफाईड जो शहर इंगित किये गये हैं वह कुल मिलाकर 68 हैं और इन 68 शहरों के अंदर जहां-जहां पर पीने के पानी की आपूर्ति कम है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किये गये हैं। जहां तक माननीय साथी ने रैनीवैल स्कीम के बारे में कहा है वह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है वह विशेषकर मेवात के इलाके के लिए की गई है। जहां तक डॉ० रघुबीर सिंह कादियान जी ने सिवाना के बारे में कहा है यह बात उनकी ठीक है। वहां प्राइवेट ऑपरेटर्ज भी हैं उनसे भी पानी लोग लेते हैं। लोगों को जहां से सुविधा मिलती है वहां से पानी लेते हैं। यह ठीक है कि उस गांव में पीने के पानी की समस्या है लेकिन उसको टेकअप किया जा रहा है इसके लिए रघुबीर सिंह कादियान जी अलग से नोटिस दें उनके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री भागी राम जी का तो यह क्वैश्चन था कि इतने समय में किन-किन शहरों में पानी की आपूर्ति बढ़ाई गई है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह कादियान जी, आप बैठ जाइए। यह क्वैश्चन ऑवर है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।****

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। रघुबीर सिंह कादियान की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

(शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाइए।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन ऑवर में भी वे बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं। इस तरह से ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि रघुबीर सिंह कादियान की सप्लीमैंट्री इस सवाल से रिलेटिड नहीं है। रघुबीर सिंह जी को यदि उस गांव की इतनी ही चिंता थी तो ये प्रश्न लिखकर देते हम उसका रिप्लाई दे देते।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा जो क्वैश्चन था उसका इन्होंने सही जवाब दे दिया है। मंत्री महोदय बड़े काबिल हैं और पूरी जानकारी रखते हैं इसलिए मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब गांवों और शहरों में वाटर वर्क्स लगे थे उस टाइम की जो स्कीम थी उसके हिसाब से 4 इंच की पाइप लाइन डाली गई थी। उस समय जब वाटर वर्क्स लगाए गए तो यह तय हो गया था कि इस फिरनी में 15 प्वाइंट लगाएंगे, इस फिरनी में 20 प्वाइंट लगाएंगे और उनमें पानी चलेगा। चार इंच के पाइप 20 कनैक्शन दे सकते थे और वर्तमान में हालत यह हो गई है कि उसमें 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन या 50 से 60 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी देने की योजना है तो क्या जो वह सारे के सारे चार इंच के पाइप हैं उनको बदलकर 6 या 8 इंच के पाइप फिरनियों में दबाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, वाटर वर्क्स को ऑगमैंट करके जनसंख्या के आधार पर वाटर सप्लाई की वृद्धि भी की जाती है। जिस प्रकार से माननीय सदस्य श्री भागी राम जी ने कहा है पहले जब वाटर वर्क्स लगाए गए थे उस समय वाटर सप्लाई के लिए थोड़ी छोटी और भीड़ी पाइप लाइनें दबायी गयी थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जब मांग बढ़ती है उसके मुताबिक नये सिरे से नयी और चौड़ी पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने नये बनने वाले जितने वाटर वर्क्स हैं उनसे लेकर जो खालों से और रजबाहों से जो पानी आता है उनकी भी नयी लाइनें बिछाने का ऐलान किया है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश जलापूर्ति में नये आयाम स्थापित किए गए हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या-1489

(इस समय माननीय सदस्य श्री बंता राम सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Opening of Hospital / PHC at Thol Mandi

***1568. Sh. Om Parkash Jindal :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that an announcement was made by the Chief Minister for opening of Hospital / PHC at Thol Mandi in District Kurukshetra in the 'Sarkar Apke Dwar' programme ; and

(b) whether it is also a fact that the work of the said Hospital / PHC has

[Sh. Om Parkash Jindal]

not yet been started; if so the reason thereof; togetherwith the time by which it is likely to be opened ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) :

(क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) जी, हाँ श्रीमान, भवन निर्माण / मुरम्मत के अनुमान तैयार हो चुके हैं और 16.55 लाख रुपए की बजट व्यवस्था करवाई जा रही है।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, जिला कुरुक्षेत्र की ठोल मण्डी जो कि एक देहाती एरिया है, में एक सरकारी अस्पताल बनना था वह अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ है जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में की थी।

श्री अध्यक्ष : जिन्दल साहब, आप सवाल पूछिये।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। ठोल मण्डी में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वहां न तो कोई डॉक्टर है, न दवाई है और लोगों के लिए इलाज कराने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है, पूरा देहाती एरिया है और वहां पर लोग अपना इलाज कराने के लिए बड़ी भारी मुसीबत में हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि वहां पर हॉस्पिटल कब तक काम करना शुरू कर देगा।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, इस विषय के बारे में मैं सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा के उपरान्त वहां की पंचायत ने तीन एकड़ भूमि दी थी और बाबा तेजा सिंह ने यह कहा था कि इस जमीन पर भवन का निर्माण करवा दिया जायेगा। उस पर जो भवन का निर्माण करवाया गया उसका चित्र फोटो मेरे पास है उस भवन के किसी कमरे के न तो दरवाजे लगाये गये हैं और न ही कोई खिड़की लगाई गई है, पूरा फर्श कच्चा है और न ही पानी की निकासी का प्रबन्ध किया गया है और न ही बिजली का प्रबन्ध है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में इस हॉस्पिटल की घोषणा की गई थी तो स्थानीय विधायक ने यह आश्वासन दिया था कि इस भवन की रिपेयर, दरवाजे, खिड़कियां, पानी का और बिजली का प्रबन्ध पंचायत द्वारा करवा दिया जायेगा। इस बारे में बार-बार लिखने के बावजूद भी पंचायत ने यह सब कार्य करवाने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। परन्तु अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी जब शाहबाद गये थे तो वहां की पंचायत ने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि हमारी पंचायत इस खर्च को वहन करने में असमर्थ है और वे कोई खर्चा नहीं कर सकते इसलिए आप किसी तरह से सरकार द्वारा इस काम को करवायें। उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस काम को सरकार द्वारा करने की स्वीकृति दी थी। तत्पश्चात् हमने वहां के सिविल सर्जन को कहा कि आप अपना इंजीनियर भेजकर इस काम का एस्टिमेट भिजवायें ताकि इस हॉस्पिटल के खिड़की, दरवाजे और फर्श का काम करवाया जा सके और बिजली-पानी का प्रबन्ध किया जा सके। हमारे पास 15 लाख 54 हजार रुपये का एस्टिमेट आ गया है और उस एस्टिमेट की हमने प्रशासनिक स्वीकृति ले ली है। इस पैसे के आने के बाद इस काम को यथाशीघ्र करवा दिया जायेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर सिंह जी अब आप बोलिये।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब तो आने दीजिए। मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा है कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, जिन्दल साहब पूछ रहे हैं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

डॉ०एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक हिन्दी के शब्द यथाशीघ्र का प्रयोग किया है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि माननीय चौटाला साहब की सरकार बनने के बाद कुल कितने अस्पताल बनाये गये हैं और इन अस्पतालों पर होने वाले खर्च में क्या केन्द्र की सरकार से कोई सहायता मिली है?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के बनने के बाद साढे तीन साल के अर्से में हमारी पहली प्राथमिकता यह थी कि जो पिछली सरकारों के दस-दस साल और 12-12 साल पुराने पत्थर लगे हुये थे उन अस्पतालों के निर्माण कार्यों को पूरा करवाया जाये। हमने पहले दो सालों में 24 बिल्डिंग वहां पूरी की हैं जिनके पत्थर 10-12 साल पहले से लगे हुए थे। इसके इलावा जिन भवनों का शिलान्यास किया उनका उद्घाटन भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है ऐसे 17 भवन हैं जिनका शिलान्यास भी इस सरकार द्वारा किया गया और इस सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया है। आज भारत सरकार के नॉर्म्ज के मुताबिक 17 पी०एच०सीज० और सी०एच०सीज० के भवन ऐसे हैं जिन पर निर्माण कार्य जारी है और काम चल रहा है और हम जल्द से जल्द इन भवनों को पूरा करवायेंगे और यदि सम्मानित सदस्य चाहें तो मैं इन भवनों की सूची सदन को पढ़कर सुना सकता हूँ। ये हैं जनरल हॉस्पिटल डबवाली (सिरसा), सी०एच०सी० बहादुरगढ़, पी०एच०सी० चूलीबागड़ियां (हिसार), पी०एच०सी० अंचीना (भिवानी), पी०एच०सी० चोटनवाली (सिरसा), अर्बन डिस्पैंसरी, सैक्टर-20, (पंचकूला), पी०एच०सी० धारूहेड़ा (रेवाड़ी), पी०एच०सी० कच्छवा, (करनाल), पी०एच०सी० मातनहेल, (झज्जर), पी०एच०सी० जाखौली, (कैथल), पी०एच०सी० पाई, (कैथल), अर्बन डिस्पैंसरी, सैक्टर-4, (पंचकूला), पी०एच०सी० बल्लम्बा, (रोहतक), पी०एच०सी० लिलम्स (भिवानी), 50 बैड की एडीशनल बिल्डिंग जनरल अस्पताल, (जीन्द), सी०एच०सी० कलायत, (कैथल), पी०एच०सी० बालू, (कैथल), पी०एच०सी० दरियावाला, (जीन्द), अर्बन डिस्पैंसरी, सैक्टर-17, जगाधरी, अर्बन डिसपैंसरी, सैक्टर-10, (पंचकूला), पी०एच०सी० पतरेहरी, (अम्बाला), सी०एच०सी० लाडवा, (कुरुक्षेत्र), ऐडीशनल वार्ड सी०एच०सी० गोहाना, (सोनीपत)। पी०एच०सी० दरबी, (सिरसा), पी०एच०सी० बराड़ा, अम्बाला, अर्बन डिसपैंसरी, सैक्टर-25, (पंचकूला), फर्स्ट रैफरैल यूनिट 30 बैड्डिड हॉस्पिटल, सैक्टर-3, (फरीदाबाद), लोजिस्टिक स्टोर एण्ड होस्टल भवन, (भिवानी), फर्स्ट रैफरैल यूनिट 30 बैडिड हॉस्पिटल, सैक्टर-30, (फरीदाबाद), पी०एच०सी० फिरोजपुर झांगर, (सोनीपत), ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल एण्ड लोजस्टिक स्टोर, (रोहतक), एम०पी०एच० डब्ल्यू० (एम०) ट्रेनिंग सैंटर एण्ड होस्टल एण्ड ट्रेनिंग सैंटर, (गुड़गांव), पी०एच०सी० धौज, (फरीदाबाद), न्यूली कंस्ट्रक्टिड बिल्डिंग ऑफ जी०एच० रोहतक, पी०एच०सी० रोड़ी, (सिरसा), पी०एच०सी० अलखपुरा, (भिवानी), न्यू 100 बैडिड हॉस्पिटल बिल्डिंग जी०एच० (पंचकूला), ट्रोमा सैंटर, (करनाल), सी०टी० स्कैन सैंटर, (सिरसा), पी०एच०सी० कोट, (पंचकूला), कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर, ओढां, (सिरसा) ये 41 बिल्डिंग हमने साढ़े 3 साल के अंदर तैयार करवाकर जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिये समर्पित की हैं। जहां तक दूसरा प्रश्न सम्मानित साथी ने किया है कि क्या इसके लिये जो खर्चा किया गया है वह केन्द्र सरकार द्वारा आया है या प्रांतीय सरकार ने वहन किया है। तो मैं बताना चाहूँगा

[डॉ० एम०एल० रंगा]

कि यह सच है कि इसके लिये जो नार्म्ज हैं वे भारत सरकार के हैं और उन नार्म्ज के हिसाब से ही इन बिल्डिंग को बनाया गया है लेकिन एक नया पैसा भी हमें केन्द्र सरकार से नहीं मिला। जितना भी पैसा लगाया गया है वह शिवालिक बोर्ड से लेकर लगाया गया है या प्रांतीय सरकार ने वहन किया है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने स्वास्थ्य की प्राथमिकता के आधार पर पुरानी 24 सी०एच०सीज०, पी०एच०सीज० और 17 नई सी०एच०सीज० और पी०एच०सीज० जिन पर काम जारी है उन 17 में से औरंगाबाद में कभी सी०एच०सी० थी और पी०एच०सी० की बिल्डिंग के लिए चौ० साहब ने नया भवन बनवाने के लिए कहा था और नांगल जाट में भी पी०एच०सी० बनाने की बात कही थी, उनके काम की क्या पोजीशन है। रूपड़ा की उटावल में नई पी०एच०सी० बननी थी उसकी क्या पोजीशन है।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा इन्होंने औरंगाबाद की पी०एच०सी० की बात की है, पिछली बार हमने सदन में कहा था कि इसकी ड्राईंग और एस्टीमेट तैयार हो गये हैं, उस सदन और आज की डेट के बीच हमने उसका पैसा स्वीकृत करके पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को भेज दिया है। वे अपने हिसाब से टैण्डर्ज वगैरह इनवाईट करके कार्य शुरू करवाएंगे। जहां तक उटावल की बात है तो वहां हमारी पी०एच०सी० किसी सहकारिता भवन में 1993 से चल रही है, उसके लिए पिछली बार भी आदरणीय साथी के प्रश्न के जवाब में हमने कहा था कि वे जमीन दे दें तो उटावल में ही पी०एच०सी० बनवाएंगे लेकिन पंचायत जमीन देने के लिए असमर्थ थी। हमने सिविल सर्जन को कहा कि अगर वे लोग जमीन नहीं देते तो आप मजदीक के रूपड़ा जो कि साथ लगता गांव है वहां पंचायत के पास जमीन भी है यदि वे जमीन दे दें तो दोनों गांवों का काम चल सकता है। इसी तर्ज पर रूपड़ा गांव की पंचायत ने 4 एकड़ जमीन विभाग को देने के लिए प्रस्ताव भेजा है, उस पर दोनों गांवों की सहमति है। वह जगह उटावल चौक के पास है, वहां पर पी०एच०सी० बनने से आस पास के 8-10 गांवों को फायदा होगा। जमीन का प्रस्ताव एस०डी०एम० के पास विचाराधीन है। जब केस एस०डी०एम० के पास से हमारे पास आ जाएगा तो जमीन का स्थानान्तरण स्वास्थ्य विभाग को किया जाएगा। स्थानान्तरण के बाद 74 लाख का जो हमारा पी०एच०सी० का खर्च होता है, एस्टीमेट मंजूर करवाकर प्रशासनिक स्वीकृति दिलाकर इस काम की स्वीकृति देकर यह काम शुरू किया जाएगा।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि दो साल हो गए हैं हमारे यहां पी०एच०सी० के लिए मुख्यमंत्री जी ने ग्रांट की घोषणा की थी, उसके सारे नॉर्म्ज पूरे हो चुके हैं, लेकिन वह अभी तक बनी नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको शीघ्र बनाया जाए।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथी ने पिछली बार भी सदन में यही प्रश्न किया था। उस सदन और आज के बीच 73 लाख 84 हजार रुपये इस काम के लिए वित्त विभाग से जारी हो चुके हैं। पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू करवाएं। हम जल्दी ही तारीख निश्चित करके मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि इसका शिलान्यास करें ताकि इसका जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सके।

———

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मल्लाह, जिला पंचकूला के विद्यार्थियों का स्वागत

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजकीय सीनियर, सैकेंडरी स्कूल, मल्लाह के छात्र, छात्राएं विजिटर गैलरी में विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पी०एच०सी० और सी०एच०सी० खोलने का क्या क्राईटेरिया है। मेरे गाँव दुबलधन की आबादी 20 हजार के करीब है। वहां पी०एच०सी० नहीं है। वहां कॉलेज है और दूसरी संस्थाएं भी हैं तथा एक आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी भी चल रही है लेकिन वह डिस्पैंसरी भी चौपाल में चल रही है उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे गांव दुबलधन में पोपुलेशन के हिसाब से सी०एच०सी० या पी०एच०सी० खोलने का विचार सरकार के विचाराधीन है और यदि है तो कब तक बनेगी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : अध्यक्ष महोदय, पी०एच०सी०, सी०एच०सी० और सब सैंटर कहां पर बनायें जायें इस बारे भारत सरकार के अपने नॉर्म्ज बने हुए हैं। उन नॉर्म्ज के मुताबिक जहां 5 हजार की आबादी है वहां सब सैंटर का निर्माण करते हैं, जहां पर 30 हजार की आबादी होती है वहां पी०एच०सी० का निर्माण करते हैं और जहां पर एक लाख से ऊपर की आबादी होती है वहां सी०एच०सी० का निर्माण करवाते हैं। दूसरा इसमें यह भी है कि 8 कि०मी० की दूरी तक पी०एच०सी० या सी०एच०सी० नहीं होनी चाहिए। जहां तक मेरे माननीय साथी दुबलधन की बात कर रहे हैं, इस बारे मैं इनको बताना चाहूँगा कि इसको एग्जामिन करवा लेंगे यदि वहां भारत सरकार के नॉर्म्ज पूरे होंगे तो उनके हिसाब से वहां पी०एच०सी० बनवा दी जायेगी। जहां तक इन्होंने आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी का जिक्र किया इस बारे इनको बताना चाहूँगा कि सरकार उन्हीं गांवों में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी चलाती हैं जिन गांवों ने अपनी चौपालें, धर्मशालाएं या किसी दूसरी जगह कमरे उपलब्ध करवा रखे हैं। आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी के लिए अलग से भवन का निर्माण नहीं करते हैं।

श्री रमेश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले सत्र के दौरान मंत्री जी ने बताया था कि घरौंडा के अंदर जो सी०एच०सी० बनेगी उसके नक्शे तैयार हो चुके हैं, प्लानिंग हो चुकी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या वहां के लिए पैसे का प्रबन्ध हो गया है और मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास कब तक करेंगे ?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, इस बार की प्लानिंग में हमने पहले से ही 6 करोड़ रुपये रखे हुए हैं ताकि जहां पी०एच०सी० और सी०एच०सी० की एनाउंसमैंट हुई है वहां निर्माण कार्य शुरू किया जाये और जो अगला बजट सत्र आयेगा उसमें बचा हुआ पैसा दे देंगे। माननीय साथी जिस सी०एच०सी० की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसे ईयरमार्क कर दिए हैं। जल्दी से जल्दी उसका शिलान्यास करवायेंगे।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मुंडलाना में पी०एच०सी० की पुरानी बिल्डिंग है जिसको विभाग ने रिजैक्ट कर दिया है। वहां की

[श्री रमेश कुमार खटक]
पंचायत ने रैजोल्यूशन बनाकर विभाग को और सरकार को भेज दिया है और 8 लाख रुपये भी जमा करवा दिए हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर नई बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, गोहाना विधान सभा क्षेत्र के मुंडलाना गांव में पी०एच०सी० की बिल्डिंग को लेकर वहां के लोगों में दो मत हैं। गांव के आधे लोग चाहते हैं कि पी०एच०सी० गांव के बीच में बने और आधे लोग चाहते हैं कि पी०एच०सी० गांव के बाहर सड़क पर बने। इस विवाद को देखते हुए हमने अपने महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को पिछले महीने मौके पर भेजा था। उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया और इस विवाद को हल किया। अब गांव के लोग मान गये हैं कि पी०एच०सी० का निर्माण गांव के बाहर रोड के साथ किया जाये। गांव के लोग जब चार एकड़ जमीन वहां देंगे तभी वहां पी०एच०सी० का निर्माण करेंगे। अब वहां जो पी०एच०सी० चल रही है वह जीर्ण और बहुत पुरानी अवस्था में है। अब वहां की पंचायत ने हमारे विभाग को चार एकड़ जमीन सड़क के पास देने का प्रस्ताव दे दिया है और हमारे विभाग के नाम जमीन स्थानान्तरण हो जायेगी। उसके बाद प्रशासनिक ऐप्रूवल, वित्तीय ऐप्रूवल और बजटरी प्रोवीजन करवाकर संभवत अगले बजट सत्र में इस कार्य को किया जायेगा।

चौ० नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, वैसे तो स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर साहब ने काफी कुछ बताया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो इण्डस्ट्रियल टाउन हैं तथा उनमें नई ई०एस०आई० डिस्पैंसरी या ई०एस०आई० हॉस्पीटल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि पिछले 20 वर्षों से भारत सरकार ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही आर०सी०एच० में लिया हुआ था लेकिन यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस बार हरियाणा के सभी अर्बन एरियाज को भी आर०सी०एच० स्कीम में लिया जा चुका है। उसके तहत चाहे कोई स्लम एरिया है या दूसरा एरिया है वहां पर ई०एस०आई० डिस्पैंसरी खोली हुई हैं। इसके अलावा भी हमारे सब सैंटर या दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं अर्बन एरियाज में भी आर०सी०एच० के तहत दी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, ई०एस०आई० की स्वास्थ्य सेवाएं श्रम मन्त्रालय के अंतर्गत आती हैं और पिछले दिनों गुड़गांव के अंदर एक ई०एस०आई० के बड़े हॉस्पीटल का शिलान्यास किया गया है, उसका निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह से हमारे फरीदाबाद में, मानेसर में, बावल में, बहादुरगढ़ में या सोनीपत में या जहां-जहां पर औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर ई०एस०आई० डिस्पैंसरी काम कर रही है। बहादुरगढ़ में यदि मजदूरों के हिसाब से नॉर्म्ज पूरे होते होंगे तो वहां पर नई ई०एस०आई० डिस्पैंसरी खोलने के लिए श्रम मंत्रालय को लिख देंगे और वहां से स्वीकृति आने पर नई ई०एस०आई० डिस्पैंसरी खोलने पर विचार किया जा सकता है।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से पिछले सदन में भी अनुरोध किया था और अब फिर आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि मेरे हल्के में नूरपूर गांव की जो पी०एच०सी० बनी हुई है वह करीब 35 साल पहले की बनी हुई है और उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है और महकमे ने भी उस बिल्डिंग को अनसेफ डिकलेयर किया हुआ है। वहां पर नई बिल्डिंग बनाने के लिए महकमे ने 4 एकड़ जमीन की मांग की थी वह जमीन भी पंचायत ने रैज्योल्यूशन पास करके दे दी है। उस पुरानी बिल्डिंग में स्टाफ भी पूरा है और डॉक्टर्ज भी पूरे हैं। मैं मंत्री

जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के की नूरपूर की पी०एच०सी० की नई बिल्डिंग कब तक बना दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : लास्ट सप्लीमेन्टरी श्रीमती अनीता यादव। मंत्री जी इन दोनों सप्लीमेंटरी का एक साथ जवाब दे देंगे।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बउवा में पी०एच०सी० बनी हुई है। वहां पर सी०एच०सी० बनाये जाने के पूरे नॉर्म्ज हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि वहां पर पी०एच०सी० से सी०एच०सी० कब तक बना दी जायेगी।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर से बता दिया है कि जो नॉर्म्ज के मुताबिक सारी प्रक्रिया पूरी करते होंगे वहां पर ऐसी बिल्डिंग अपने आप बन जाएंगी। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पी०एच०सी० के लिए 30 हजार की आबादी है। यहां सदन में बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि जो कहें सच कहें। डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान ने भी कह दिया कि उनके गांव दुबलधन की आबादी 20 हजार की है। इनको यह नहीं पता कि यदि किसी गांव की आबादी 15 हजार की हो जाएगी तो वहां पर म्युनिसिप्ल कमेटी बन जाएगी। दुबलधन गांव में पंचायत है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : वहां की आबादी 20 हजार है और वहां पर तीन पंचायतें हैं। * * * *

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब आप बैठिये। इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यदि तीनों पंचायतों की आबादी भी मिला ली जाए तो भी दुबलधन की आबादी 20 हजार नहीं बनती। इतना ही नहीं यदि दुबलधन माजरा को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो भी शायद वहां की आबादी 20 हजार की नहीं बनेगी।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरीफाई करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। क्लैरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नैक्स्ट क्वैश्चन श्री लीला राम।

तारांकित प्रश्न संख्या–1493

(इस समय माननीय सदस्य श्री लीला राम सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

तारांकित प्रश्न संख्या–1479

(इस समय माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह बिसला सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Removing of encroachments from HUDA land at Panipat

***1541. Sh. Anil Vij :** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the land of Sector-6 of HUDA, Panipat has been encroached by some persons ; and

(b) if so, the time by which above encroachments are likely to be removed ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) हाँ श्रीमान जी। हुडा को ज्ञात है कि सैक्टर-6, पानीपत में बीते समय में कुछ अवैध निर्माण / अतिक्रमण उस भूमि / टुकड़ों पर हुए हैं जिन पर या तो कोई कानूनी विवाद है या माननीय न्यायालयों ने उस भूमि को खाली न कराने के स्थगन आदेश पारित कर रखे हैं।

(ख) सैक्टर-6, पानीपत में मौजूदा अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। लेकिन जिस भूमि पर न्यायालय के स्थगन आदेश हैं या कोई कानूनी विवाद है, न्यायालय के उन स्थगन आदेशों के निपटान के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

10-00 बजे

Shri Anil Vij : Speaker Sir, some time back I happened to visit your home town, Panipat and I pained to know that the land meant for green belt has been encroached by certain persons. This is a very serious matter and very wrong trend, many questions arise out of it. My first question is, whether Government is trying to identify all others Urbans Areas, where such type of land has been encroached upon ? My second question is, on the one side Government is trying its level best to increase the green cover in the State and on the second side such encroachments are happening. I would like to know from the Govt. that whether the Government has made up some policy to increase the green cover of the towns? And my third and most important question is, whether the Government is trying to bring some legislation to make encroachments a criminal offence so that this tendency could be stopped? I would like to mention here that जो जमीन सरकारी है वह सारी हमारी है उसके नाते स्थान-स्थान पर जमीनों को ऐन्क्रोच करने की टैंडेंसी बढ़ रही है तो क्या सरकार इसके लिए कोई ऐसा कानून लाने की कोशिश कर सकती है जिसके तहत ऐन्क्रोचमैंट को क्रिमिनल अपराध माना जाए और बजाए इसके कि यह जिम्मेदारी सरकार की हो उस भूमि को खाली करवाने की जिम्मेदारी उन लोगों पर डाली जा सके और वे ऐसी भूमियों को खुद खाली करें।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार की यह पॉलिसी है कि जहां कहीं पर भी नाजायज ऐन्क्रोचमैंट है वह सब हटाई जा रही है। उसके लिए निरन्तर प्रयास हुए हैं और उसमें बहुत हद तक हमें सफलता भी मिली है। प्रजातान्त्रिक प्रणाली में कोई व्यक्ति विशेष किसी गांव में या कस्बे में सार्वजनिक सम्पत्ति को दबा जाए यह प्रजातन्त्र की परिभाषा नहीं है। मौजूदा सरकार कानून की पालना करने में भी यकीन रखती है। पानीपत की जिस जमीन का जिक्र

माननीय सदस्य कर रहे हैं वह साढ़े सात एकड़ जमीन हुडा की कुछ लोगों ने दबाई थी उसमें से अढ़ाई एकड़ जमीन खाली करवा ली गई है और बाकी की पांच एकड़ जमीन को खाली करवाने के लिए बी०पी० एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज है। हालांकि कोर्ट की तरफ से हमें निर्देश हैं कि सारी जमीन खाली करवाई जाए उसके बावजूद भी सरकार सारी प्रक्रिया पूरी करके उसको खाली करवाने की पक्षधर है। इसी सदन के सम्मानित सदस्य यह जानकारी रखते हुए भी इस प्रकार के नाजायज ऐन्क्रोचमैंट को जब तोड़ा जाता है तो उस पर राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए अपने आप को वहां पर शामिल करते हैं और सरकार के खिलाफ भाषणबाजी करने का काम भी करते हैं। यह जमीन किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है पूरे प्रदेश की दो करोड़ 15 लाख लोगों की सम्पत्ति है। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से विशेष रूप से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मामले में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। कानून पहले से भी बने हुए हैं और मजबूत में हम आ सकें इसके लिए आज ही इस बारे में एक बिल हम इस सदन में लाने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि फरीदाबाद हमारी बहुत बड़ी इण्डस्ट्रियल बैल्ट है। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सारे प्रदेश के अन्दर ऐन्क्रोचमैंट हटाने का जो अभियान चलाया हुआ है एक प्रकार से कई करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर कब्जे हटाए हैं उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में बिहार, यू०पी० या अन्य प्रदेशों में बिलो पावर्टी लाइन जो लोग रहते हैं इसी उद्देश्य से कि उन्हें वहां पर नौकरी मिल जाएगी बड़ी भारी संख्या में फरीदाबाद में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सारा प्रशासन बधाई का पात्र है कि वे एन्क्रोचमैंट हटाते हैं। लेकिन लोगों पर इतना प्रैशर है कि वे अगले दिन ही फिर झुग्गी-झौंपड़ी डाल देते हैं। गरीब आदमी को कहीं पर भी बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यह जो कम्पेन है इसके तहत हुडा की, एम०सी०एफ० की जमीनों से एन्क्रोचमैंट हटाई जा रही है यह निश्चित रूप से सारे स्टेट के इन्ट्रस्ट में है। अध्यक्ष महोदय, बिना किसी पोलिटिकल कांसीच्यूसी की परवाह किए बगैर यह अभियान चलना चाहिए। इसके लिए यह सरकार बहुत बधाई की पात्र है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात का प्रयास भी कर रही है कि अगर कहीं पर एन्क्रोचमैंट जाने-अनजाने में हो गई है और जिसकी वजह से सार्वजनिक तौर पर किसी को नुकसान न होता हो, मिसाल के तौर पर कोई भी पंचायत की जमीन है उसमें कंसोलिडेशन में रास्ते कटे हुए हैं, फिरनी कटी हुई है और कई गलियां कटी हुई हैं, अगर किसी एन्क्रोचमैंट के कारण आवागमन के रास्ते में कोई बाधा आती है तो उस नाजायज एन्क्रोचमैंट को सरकार तोड़ेगी और उसको हर कीमत पर तोड़ेगी। लेकिन पंचायत की खुली जमीन पर अगर किसी ने गलती से मकान बना लिया और ग्राम पंचायत डिप्टी कमिश्नर से सलाह मशविरा करके पंचायत की तरफ से उसकी जो कीमत निर्धारित की जाएगी वह मकान बनाने वाला जमा करवा देता है तो सरकार उसको तोड़ने के पक्ष में नहीं है लेकिन इस प्रकार की कोई एन्क्रोचमैंट है जहां आपकी मैडिकल वैन भी न जा सके, जहां फायरब्रिगेड भी न जा सके और उन गलियों में से दो गाड़ियाँ इक्टठी न जा सकें तो उस एन्क्रोचमैंट को हटाया जाएगा। हम भुगतभोगी हैं, आज से तीन वर्ष पहले सोनीपत के मामा-भांजा बाजार में आग लग गई थी और हमारे पास फायरब्रिगेड होते हुए भी वहां नहीं पहुंच सकी थी। हम बेबस थे क्योंकि हम वहां पर तंग गलियां होने की वजह से पहुंच नहीं सकते थे। इस प्रकार की नाजायज एन्क्रोचमैंट को हटाने के लिए हम पक्षधर है। जैसा कि मैंने बताया है, उसमें हमारे सदन के सम्मानित सदस्य बाधक बनने का प्रयास करते हैं और सरकार पर अनर्गल तथा मिथ्या इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके लिए हमने भी

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

प्रयास किए हैं कि हम बातचीत से रास्ता तलाश करके उनसे पूछते हैं कि अगर वे अपनी मर्जी से वह रास्ता छोड़ देते हैं तो हम भी उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लेंगे। जहां तक सरकारी जमीन पर किसी ने नाजायज मकान बना भी लिया है तो सरकार उनके आवास की समुचित व्यवस्था करने के लिए विचार कर रही है। यह सरकार उनको मुनासिब कीमत पर दूसरी जगह पर जमीन दे देगी। इसके इलावा अम्बेदकर योजना के तहत उनको हमारी सरकार मकान भी बनाकर देगी। हम किसी को उजाड़ने के पक्षधर नहीं है। लेकिन सरकारी भूमि पर कोई जोर-जबरदस्ती से कब्जा करता है और उस जमीन को बेच दे, फिर कब्जा कर ले और फिर बेच दे तो हमारी सरकार ऐसी परम्परा को समाप्त करने की पक्षधर है। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को कहूँगा कि प्रदेश के हित के लिए प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में साथ दें। हमारी सरकार किसी को उजाड़ने की पक्षधर नहीं है, हम सबको बसाने के पक्षधर हैं। जो लोग झुग्गी-झोंपडियों में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उनके आवास की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं।

Naggal be made Flood Free

***1515. Shri Jasbir Mallour** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the Naggal Constituency free from flood ; and

(b) if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) नग्गल क्षेत्र को बाढ़ से राहत प्रदान करने हेतु 4 योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। ये योजनाएं हरियाणा राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। योजनाओं के नाम निम्नानुसार हैं :—

1. 80.75 लाख रुपये की लागत से गन्दा नाला के नदी की ओर के तटबन्ध की बुर्जी 4650 से 20000 तक का विस्तार एवं मजबूत करना तथा आउटफाल लिंक ड्रेन की बुर्जी 1900 से 0 तक व दो इनलेटस की क्षमता बढ़ाना।

2. 13.33 लाख रुपये की लागत से बड़ौली ड्रेन की बुर्जी 2900 से 0 तक की खुदाई करना।

3. 15.36 लाख रुपये की लागत से चौड़मस्तपुर ड्रेन की बुर्जी 7700 से 0 तक खुदाई करना।

4. 112.28 लाख रुपये की लागत से सुल्लर ड्रेन की बुर्जी 20100 से 0 तक खुदाई करना।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का बहुत ही फ्लड इफैक्टिड एरिया था। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे एरिया में ड्रेनें मंजूर की हैं। उन ड्रेनों के मंजूर होने से हमारे एरिया के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, दो ड्रेनों की तो खुदाई भी हो चुकी है, लेकिन गन्दा नाले की ओर जो 80.70

लाख की स्कीम है उसके बन जाने से हमारे इलाके को बहुत फायदा होगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उन ड्रेनों को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें। इसके अलावा सुल्लर ड्रेन जो मंजूर हो चुकी है उसको भी जल्दी खुदवाने का काम करवाएं ताकि नग्गल हल्के को बाढ़ से मुक्ति दिलाई जा सके।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने खुद ही बताया है कि इनके हल्के में दो ड्रेन पूर्ण हो गयी हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि गन्दा नाला के नदी की ओर के तटबन्ध को मजबूत करने का काम 31-12-2003 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से बड़ौली ड्रेन का काम भी 31.12.2003 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनके हल्के में जो चौड़मस्तपुर ड्रेन बनाने का काम शुरू किया गया था तो उसका काम भी अब पूर्ण हो चुका है। इसी तरह से इनके यहां की जो चौथी ड्रेन सुल्लर है उसका काम भी जून, 2004 तक पूरा करवा लिया जाएगा। इस तरह से न केवल नग्गल क्षेत्र में बल्कि हरियाणा प्रदेश में 80 स्कीमें इस तरह की मंजूर की गयी हैं। स्पीकर सर, जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 34वीं बैठक हुई थी उसमें ये स्कीम्ज मंजूर की गयी हैं इन पर 12.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्पीकर सर, अब की बार इतनी बारिश होने के बावजूद हरियाणा में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से सफल हुआ कहीं पर भी बाढ़ नहीं आयी जबकि पहले ड्रेनेज सिस्टम सफल नहीं होता था। स्पीकर सर, चौटाला साहब का जो बाढ़ रहित हरियाणा का स्वप्न रहा है अब की बार वह पूरा हुआ है क्योंकि कहीं पर भी इस बार बाढ़ नहीं आयी है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर सर, हिसार जिले में खास तौर से हिसार सराउंडिंग एरियाज के जो गांव हैं जैसे मीरका, डाबड़ा, मिर्जापुर, न्याणा, सातरोड़ कलां, सातरोड़ खुर्द एवं खास और सिंदड़ खानपुर, उनमें अभी भी पानी का प्रभाव है। वहां पर इनके लिए पूर्णत: जितनी ड्रेन होनी चाहिएं थीं उस हिसाब से वह पूरी नहीं हो सकी हैं। मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से पूछना चाहूँगा कि इस काम को कब तक करवा दिया जाएगा और जो नयी रिक्वायरमैन्ट है उनको इन गांवों में कब पूरा कर दिया जाएगा?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैंने पहले ही बताया है कि इस तरह की 80 स्कीम्ज मंजूर की गयी हैं। जहां तक माननीय साथी ने कहा कि कुछ गांवों में अभी भी पानी खड़ा है तो मैं इनसे कहूँगा कि ये इसके लिए एक नोटिस लिखकर दे दें। स्पीकर सर, पहले तो 30 सितम्बर के बाद पानी निकालने के लिए डी-वाटरिंग का काम शुरू होता था लेकिन अब की बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों का ध्यान रखते हुए पहले ही पानी निकलवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है जबकि जयप्रकाश जी, आपको याद होगा कि 1995 में जब बाढ़ आयी थी उस समय चार-पांच महीने तक पानी खड़ा रहा था लेकिन उस समय की सरकार ने पानी निकलवाने का प्रयास नहीं किया था लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है स्पीकर सर, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मुख्य मंत्री जी का नारा है कि किसान आराम से सोये, मैं सारी रात जागूंगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जो नग्गल या अम्बाला का एरिया है इसमें बाढ़ घग्गर के पानी की वजह से आती है। घग्गर नदी का काफी सरप्लस पानी होता है इसलिए मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार की घग्गर नदी पर कोई डैम या बाँध बनाने की योजना है?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जिस तरह से माननीय साथी ने कहा कि क्या घग्गर नदी पर कोई डैम बनाने की योजना है मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनकी सरकार ने तो कभी भी इस बारे

[श्री राम पाल माजरा]

में नहीं सोचा और न ही उनकी सरकार ने कभी डब्ल्यू०जे०सी० को मजबूत करने के बारे में सोचा। हमने घग्गर नदी की बाढ़ को रोकने के लिए रंगोई नाला बनवाया। भागीराम जी इस बारे में खुद जानते हैं। स्पीकर सर, किस प्रकार से घग्गर का पानी किसानों की फसलों की सिंचाई के काम आए इसको इस सरकार ने ही सोचा और रंगोई नाला बनवाया ताकि इस पानी का ठीक तरह से प्रयोग किया जा सके। स्पीकर सर, इस बार घग्गर में बाढ़ नहीं आयी क्योंकि हमने इस बारे में प्रयास किए, स्कीम्ज बनायीं।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूँगा कि अब की बार मेरे हल्के में फुंगड़, भैणी और धनाना में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई है।

श्री अध्यक्ष : बारिश आई है कि बाढ़ आई है।

श्री राम किशन फौजी : बाढ़ आई है और उससे हजारों एकड़ कपास की फसल खत्म हो गई है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि जिन किसानों की कपास की फसल खराब हुई है उनको मुआवजा मिलेगा, कोई राहत मिलेगी?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों को बारिश और बाढ़ का भी ज्ञान नहीं है। अब की पूरे प्रदेश में कहीं भी बाढ़ नहीं आई। ये ठीक है कि कुछ ऐसे लो लाइंग एरिया हैं जहां ज्यादा बारिश की वजह से पानी खड़ा है और मैं पूरे सदन को इस बात के लिए जानकारी देना चाहूँगा कि पुराने कायदे कानून के मुताबिक जिनके बनाने वाले ये सामने बैठे हुए हैं 30 सितंबर के बाद जब खरीफ की फसल समाप्त हो ले, रबी की बिजाई के लिए पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और मौजूदा सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि जहां कहीं भी बारिश के फौरन बाद जैसे ही पानी के खड़े होने की सूचना मिली उस पानी को पम्पआउट कर दिया गया। सरकार प्रयासरत है और पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि 1-1 इंच भूमि पर रबी की बिजाई की जाएगी।

श्री राम किशन फौजी : मैंने मुआवजे की बात कही है उसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

तारांकित प्रश्न संख्या-1503

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of Roads in Dabwali City

***1497. Sh. Sita Ram :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister, Haryana has announced the construction of some roads in Dabwali City during the year 2002-2003 ; and

(b) the number of roads out of those referred to in part 'a' above construction of which have been completed and the number of roads the construction work is yet to be started ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगर विकास राज्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद डबवाली शहर की सड़कों के सुधारीकरण और नयी सड़कों के निर्माण के लिए कितना पैसा इस सरकार ने रिलीज किया है और इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ-साथ यह भी जानना चाहूँगा कि डबवाली शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर विकास राज्य मंत्री ने कितना पैसा रिलीज किया है और ये सब कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंगे ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2001-2002 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 311 लाख रुपये की राशि से सड़कों के निर्माण की घोषणा की थी जिसमें से 151.81 लाख रुपये रिलीज होकर के इन सड़कों के लिए जारी किये जा चुके हैं तथा 159.19 लाख रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवलैपमैंट फण्ड के तहत फाइनैंस डिपार्टमैंट में अप्रूवल के लिए फाईल गई हुई है यथाशीघ्र उसका निपटारा होने के बाद इन सड़कों के लिए यह पैसा दे दिया जायेगा। जहां तक सड़कों का प्रश्न है वह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मेन बाजार से पंजाब सीमा तक विष्णु मन्दिर रोड और डॉ० सेठी रोड से पंजाब सीमा तक। कालोनी रोड और चेतक रोड और बी०एड० कालेज से दुर्गा मन्दिर तक। डिलाईट सिनेमा रोड और गुरचरण फौजी रोड से रामलीला ग्राउन्ड तक। चेतक रोड टू डिलाईट सिनेमा वाया जसवन्त जै०ई० मैल्लू राम बस स्टैण्ड वाली सड़क सहित। सब्जी मण्डी रोड गोदामों से बाबा लक्कड़ मार्किट एम०पी० कॉलेज तक। पंजाब बोर्ड के सामने जी०टी० रोड से गौशाला तक। डॉ० सुभाष सेठी रोड से आर्य समाज मन्दिर, जी०टी० रोड तक। बराड़ावाली से पंजाब सीमा तक। गली मोगावाली पुराना हनुमान मन्दिर रोड से अनाज मण्डी तक। चेतक रोड बस स्टैण्ड के सामने से जी०टी० रोड तक। पुराने हनुमान मन्दिर से चेतक रोड तक। एकता नगरी में रामलाल बागड़ी से चेतक रोड तक। रेलवे सीमा में एम०पी० कालेज से रामबाग तक। वैण्णों मन्दिर से चौधरी सतपाल, राजेन्द्र ठेकेदार, रघबीर चन्द फैक्टरी से कालावाली रोड तक। सी०सी० रोड से राजाराम चेयरमैन के घर तक आदि सड़कों पर कुल ये 311 लाख रुपये की जो सरकार ने घोषणा की है उसका मैंने पूरा ब्यौरा सदन को बता दिया है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि डबवाली में सीवरेज व्यवस्था के सुधार के लिए सरकार ने कोई पैसा रिलीज किया है, अगर किया है तो कितना पैसा रिलीज किया है ?

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इनका यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। ये अलग से इस बारे में लिखकर दे दें तो इसका इनको जवाब दे दिया जायेगा।

Levelling of Manheru Minor

***1518. Ch. Jagjit Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the level of Manheru Minor is uneven upto its tail due to which the village Gouripur, Paintawas Khurd, Paintawas Kalan and Fategarh of district Bhiwani do not get adequate water for irrigation and drinking purposes ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government for levelling of said minor.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु तीव्र सिंचाई लाभ परियोजना के अन्तर्गत दादरी फीडर की क्षमता बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है।

चौ० जगजीत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से यह जानकारी चाहूँगा कि यह जो मानहेरू माइनर है इससे पांच-छः गावों को पानी जाता है जिसमें पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी होता है। जब ग्रीवेन्सिज कमेटी की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी भिवानी गये थे तो उन गांवों के लोग मुख्य मंत्री जी से मिले थे। सरकार ने उस माइनर पर 85 लाख रुपये भी खर्च किये हैं लेकिन यह पता नहीं किस कारण से अधिकारियों की गलती की वजह से या राजनीतिक प्रैशर के कारण गोरीपुर, पैंतावास खुर्द, पैंतावास कलां और फतेगढ़ में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। उस माइनर का लैवल ऊंचा रहने के कारण पानी नहीं पहुँच पा रहा है यह बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मानी थी। क्या सरकार उस माइनर के लैवल को ठीक करवाने का काम करेगी ताकि उन गांवों में पानी की सप्लाई ठीक हो सके ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने इस बात को माना है कि सरकार ने वहां पर 85 लाख रुपये खर्च किये हैं जिसकी वजह से उस माइनर के लैवल को ठीक कर दिया गया है। परन्तु हैड से ही उस माइनर को पूरा पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पानी आगे जाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने दादरी फीडर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तीव्र सिंचाई लाभ परियोजना के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपये की योजना बनाई है और उम्मीद है कि यह योजना 2003-2004 तक पूरी करवा दी जायेगी जिसकी वजह से मानहेरू माइनर के टेल तक पानी उपलब्ध हो जायेगा।

श्री शशि परमार : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में मेरे हल्के में न्यू खरकड़ी माइनर जो बापौड़ा और आस-पास के एरियाज के लिए बनाई गई थी उस पर कई करोड़ रुपये खर्च किया गया है, उस समय बंसी लाल जी की सरकार थी, लेकिन वह माइनर बनने के बाद उसमें आज तक पानी नहीं चला। उसके बनाने पर कई करोड़ रुपये खराब गए, मैं चाहूँगा कि इसके लिए जिम्मेवारी फिक्स की जाए, उसका यदि लैवल ठीक नहीं है, तो उसका लैवल ठीक कराया जाए ताकि बापौड़ा और आस-पास के इलाके में इरीगेशन की जा सके।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में लिखकर दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बात मैंने कल विस्तार से साफ कर दी थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि जहां कहीं भी इस प्रकार की बेकायदगियां हुई हैं कि माइनर का लैवल ठीक नहीं है, पानी कहीं नहीं पहुंचता है तो उनको तोड़कर नए सिरे से लैवल ठीक करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों की वजह से बेकायदगियां हुई हैं उनकी रिस्पौंसबिलिटी फिक्स करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच पड़ताल के बाद टैक्नीकली जब वे लोग इसके दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा लेकिन जब ऐक्शन लिया जाएगा तो सामने बैठे लोग चीखेंगे और चिल्लाएंगे। यह बड़ी दुविधा की स्थिति है।

Construction of 66 KV Sub-station, Aurangabad.

***1507. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which construction work of 66 KV Sub-station in village Aurangabad of Hathin Constituency is likely to be started/completed.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हथीन चुनाव क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में 16 एम०वी०ए० की क्षमता का एक नया 66 के०वी० उप-केन्द्र निर्माणाधीन है। यह उप-केन्द्र दिनांक 31-3-2004 तक पूरा होना सम्भावित है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बिजली के सुधारीकरण के लिए अनेक प्रोग्रैसिव स्टैप्स उठाए हैं। मेरे हल्के हथीन में चौ० देवी लाल जी के समय में 66 के०वी०ए० का सब-स्टेशन स्थापित किया गया था और अब औरंगाबाद में 66 के०वी०ए० का सब-स्टेशन लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहूँगा कि औरंगाबाद के सब-स्टेशन पर कितनी लागत आएगी? उसके पूरा होने की समय अवधि जो 31-3-2004 फिक्स की गई है उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। इसके अलावा 24 घण्टे बिजली देने की भविष्य की कोई योजना क्या सरकार द्वारा बनाई गई है विशेषकर जैसा कि चौ० देवी लाल जी के समय में ग्रामीण आंचल के लिए थी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 24 घण्टे बिजली देने के लिए क्या सरकार कोई दूरगामी कदम उठाने का प्रयास कर रही है?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि उस सब-स्टेशन पर 3 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत आएगी और लाइन पर 57 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में रिफोर्म पर भी खर्चा किया जा रहा है जिसके मुताबिक 57 नए सब-स्टेशन बने हैं, 258 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है, 77 नए उप-केन्द्रों पर काम चल रहा है, 57 की क्षमता में वृद्धि की गई है। हरियाणा प्रदेश में उपभोक्ताओं को पूरी फ्रिक्वैंसी के साथ बिजली मिले इसके प्रबन्धन के लिए मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई दूंगा कि उन्हें हरियाणा प्रदेश को ग्रेडिंग और रैंकिंग करते वक्त हिन्दुस्तान में तीसरा स्थान मिला है जबकि हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब को 10 वां स्थान मिला है। जहां तक मेरे साथी ने 24 घण्टे बिजली देने के बारे में कहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि अनुमान है कि इस काम पर 700 करोड़ रुपये

[श्री राम पाल माजरा]

खर्च होगा। 499 करोड़ रुपये के लगभग इस पर खर्च हो गए हैं और जब 700 करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे तब हरियाणा प्रदेश में पूरी बिजली होगी और 24 घण्टे बिजली मिलेगी तब सबकी आँखें खुलेंगी।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हसनपुर के 33 के०वी०ए० सब-स्टेशन को 66 के०वी०ए० में अपग्रेड करने की घोषणा मुख्य मंत्री महोदय ने काफी समय पहले की थी। उसकी लाइन औरंगाबाद से जानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि हसनपुर में जो 66 के०वी०ए० सब-स्टेशन बनना है वह कब तक पूरा होगा और उस पर कितनी लागत आनी है?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जो अनाउंसमैंट माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के द्वारा की थी उनमें से 40 हजार अनाउंसमैंट पूरी कर दी गई हैं यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यदि मुख्य मंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत ऐलान किया है जो मेरे माननीय साथी ने कहा है उसको भी एग्जामिन करवाकर पूरा कर लिया जायेगा। स्पीकर सर, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 40 हजार अनाउंसमैंट पूरी की गई हैं। पिछली सरकारें तो सिर्फ ढकोसला थीं, उनके समय में कोई काम नहीं हुआ केवल पत्थर लगाये जाते थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Laying of Sewerage System in Barwala City

***1534. Shri Jai Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay sewerage system in Barwala City, district Hisar ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त 'क' के उत्तर के मध्यनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

Old Age Pension

***1554. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct a fresh survey for identifying the old age persons who become eligible for getting old age pension.

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

Compensation provided to accident victims

***1538. Shri Puran Singh Dabra :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether it is a fact that the compensation of Rs. 5,000/- to Rs. 50,000/- is provided by the Government to the accident victims, who got injuries from the farm implements during harvesting; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : हरियाणा राज्य की मार्किट कमेटियों द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यों में संलग्न दुर्घटना पीड़ितों को 5,000/- रुपये से 50,000/- रुपये की राशि मृत्यु तथा अंग भंग होने पर विशेष वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०	दुर्घटना की किस्म	वित्तीय सहायता राशि (रुपयों में)
1.	मृत्यु होने पर	50,000/-
2.	एक अंग भंग होने पर/स्थाई गम्भीर चोट	20,000/-
3.	दो अंग भंग होने पर/स्थाई गम्भीर चोट	30,000/-
4.	उंगली भाग कटने पर	5,000/-
5.	पूरी उंगली कटने पर	12,000/-
6.	चार उंगली कटने पर एक अंग भंग समझा जाएगा	20,000/-
7.	रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर यदि स्थाई अपंगता हो जाए	40,000/-

---

Construction of Sub-stations

***1537. Shri Shashi Parmar :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of the following Sub-stations is likely to be completed :—

1. Bhiwani Industrial Area ;
2. Bhiwani City Station ;
3. Chang ; and
4. Bahal ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : 132 के०वी० उप-केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र भिवानी तथा बहल और 33 के०वी० उप-केन्द्र गांव चांग एवं सिटी रेलवे स्टेशन भिवानी निर्माणाधीन हैं इनके

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
पूरा होने की सम्भावित तिथि नीचे दी गई है :—

1.	132 के०वी० उप-केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र भिवानी	30-11-2003
2.	132 के०वी० उप-केन्द्र बहल	31-12-2003
3.	33 के०वी० उप-केन्द्र चांग	31-3-2004
4.	33 के०वी० उप-केन्द्र सिटी रेलवे स्टेशन, भिवानी	31-3-2004

Construction of Thermal Power Plant at Yamuna Nagar

***1542. Shri Malik Chand Gambhir :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Thermal Power Plant at Yamunanagar ; and

(b) if so, the time by which the construction work of the said Thermal Power Plant is likely to be started alongwith the total cost to be incurred thereon ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत यमुनानगर में एक थर्मल पावर प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव है। अभी इसके निर्माण कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा तथा उस पर आने वाली लागत का विवरण देना सम्भव नहीं है।

Construction of P.W.D. Rest House in Nilokheri Constituency

***1558. Shri Dharam Pal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any P.W.D. Rest House in Nilokheri Constituency ; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान जी।

Widening of Roads in Rohtak City

***1565 Shri Shadi Lal Batra :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct or widen the roads connecting Prem Nagar Chowk and old Gohana Adda; and

(b) the total amount spent on repairs of roads in Rohtak City during the last four years ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) नगर परिषद रोहतक द्वारा रोहतक शहर में गत चार वर्षों में सड़कों की मुरम्मत/निर्माण पर 801.62 लाख रुपये खर्च किये गये।

Policy for allotment of Liquor Vends

***1517 Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the State Government has made any change in the policy for the allotment of liquor vends by means of auction for the year 2002-2003 and 2003-2004 ; and

(b) the total amount realised from the auction of liquor vends for the year 2003-2004 as compared to the year 2001-2002 and 2002-2003 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ, श्रीमान जी, वर्ष 2002-2003 की आबकारी नीति में शराब की दुकानों के आबंटन के लिये निविदा प्रथा का प्रावधान (टैंडर सिस्टम) रखा गया था और इस सिस्टम से 51 ग्रुप बेच दिये गये। शेष दुकानों के ग्रुपों को खुली बोली (नीलामी) द्वारा बेचा गया क्योंकि या तो कुछेक ग्रुपों की कोई निविदा (टैंडर) आए ही नहीं या उनमें ऑफर की राशि अपर्याप्त आंकी गई।

वर्ष 2003-2004 में सभी शराब की दुकानों के ग्रुपों को खुली बोली (नीलामी) द्वारा बेचा गया है ।

(ख) वर्ष 2003-2004 में शराब की दुकानों की बोली 696.00 करोड़ की थी, जबकि पिछले दो वर्षों 2001-2002 व 2002-2003 की बोली क्रमश: 630.00 करोड़ व 664.00 करोड़ की थी।

Construction of new building of City Police Station, Bahadurgarh.

***1546. Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the building of City Police Station, Bahadurgarh in a dilapidated condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building at the same place ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हाँ, सिटी पुलिस स्टेशन बहादुरगढ़ की नई इमारत के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Telephone Bills of Ministers

162. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the month-wise details of the amount of telephone bills of each member of Council of Ministers of Haryana on account of telephones provided at their offices and residence during the year 2000-2001 and 2001-2002 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : मंत्रि परिषद् के प्रत्येक सदस्य के कार्यालय तथा निवास स्थान पर लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के बीच हुए खर्च का द्विमासिक ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला, मुख्य मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	33815	161426	195241
1-6-2000	31-7-2000	86009	226989	312998
1-8-2000	30-9-2000	60104	180508	240612
1-10-2000	30-11-2000	64816	146965	211781
1-12-2000	31-1-2001	93573	164630	258203
1-2-2001	31-3-2001	86145	179023	265168
कुल योग				1484003

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	78375	174336	252711
1-6-2001	31-7-2001	80287	159234	239521
1-8-2001	30-9-2001	79603	146011	225614
1-10-2001	30-11-2001	79673	166893	246566

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-12-2001	31-1-2002	68999	138719	207718
1-2-2002	31-3-2002	50915	80271	131186
कुल योग				1303316

श्री सम्पत सिंह, वित्त मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	94371	114432	208803
1-6-2000	31-7-2000	82060	88410	170470
1-8-2000	30-9-2000	91938	57864	149802
1-10-2000	30-11-2000	71366	43999	115365
1-12-2000	31-1-2001	59026	61786	120812
1-2-2001	31-3-2001	65677	42175	107852
कुल योग				873104

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	69108	52810	121918
1-6-2001	31-7-2001	83448	58986	142434
1-8-2001	30-9-2001	82575	77413	159988
1-10-2001	30-11-2001	81704	68472	150176
1-12-2001	31-1-2002	70180	46541	116721
1-2-2002	31-3-2002	46601	26584	73185
कुल योग				764422

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

श्री धीरपाल सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	38991	22514	61505
1-6-2000	31-7-2000	39477	20310	59787
1-8-2000	30-9-2000	37694	14296	51990
1-10-2000	30-11-2000	34668	11458	46126
1-12-2000	31-1-2001	31109	12843	43952
1-2-2001	31-3-2001	28479	11049	39528
कुल योग				302888

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	28352	7783	36435
1-6-2001	31-7-2001	37715	8675	46390
1-8-2001	30-9-2001	39365	7022	46387
1-10-2001	30-11-2001	30148	5104	35252
1-12-2001	31-1-2002	29275	5016	34291
1-2-2002	31-3-2002	10601	6312	16913
कुल योग				215668

श्री अशोक कुमार, परिवहन मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	26508	12199	38707
1-6-2000	31-7-2000	26477	11396	37873

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-8-2000	30-9-2000	21115	15142	36257
1-10-2000	30-11-2000	19825	12945	32770
1-12-2000	31-1-2001	18933	18770	37703
1-2-2001	31-3-2001	24626	12343	36969
कुल योग				220279

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	25565	12151	37716
1-6-2001	31-7-2001	25731	11954	37685
1-8-2001	30-9-2001	29796	15347	45143
1-10-2001	30-11-2001	25545	29169	54714
1-12-2001	31-1-2002	21238	12555	33793
1-2-2002	31-3-2002	13069	9307	22376
कुल योग				231427

श्री करतार सिंह भड़ाना, सहकारिता मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	24984	18956	43940
1-6-2000	31-7-2000	23429	24085	47514
1-8-2000	30-9-2000	30523	14969	45492
1-10-2000	30-11-2000	26394	8279	34673
1-12-2000	31-1-2001	19270	18840	38110
1-2-2001	31-3-2001	26457	18480	44937
कुल योग				254666

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	27148	15478	42626
1-6-2001	31-7-2001	30240	20514	50754
1-8-2001	30-9-2001	30278	11964	42242
1-10-2001	30-11-2001	26633	11363	37996
1-12-2001	31-1-2002	24286	8422	32708
1-2-2002	31-3-2002	9991	11561	21552
कुल योग				227878

श्री जसविन्द्र सिंह संधू , कृषि मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	24814	26261	51075
1-6-2000	31-7-2000	31839	30810	62649
1-8-2000	30-9-2000	30884	17381	48265
1-10-2000	30-11-2000	27201	29048	56249
1-12-2000	31-1-2001	29124	35681	64805
1-2-2001	31-3-2001	28767	39140	67907
कुल योग				350950

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	29308	47285	76593
1-6-2001	31-7-2001	30685	63359	94344
1-8-2001	30-9-2001	29593	73171	102764

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-10-2001	30-11-2001	29162	76638	105800
1-12-2001	31-1-2002	23501	44074	67575
1-2-2002	31-3-2002	18211	23930	42141
कुल योग				489217

डॉ० एम०एल० रंगा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	23286	1135	24421
1-6-2000	31-7-2000	23725	7364	31089
1-8-2000	30-9-2000	20987	12890	33877
1-10-2000	30-11-2000	14277	14681	28958
1-12-2000	31-1-2001	15232	12291	27523
1-2-2001	31-3-2001	15621	11316	26937
कुल योग				172805

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	20517	11108	31625
1-6-2001	31-7-2001	20565	10874	31439
1-8-2001	30-9-2001	19040	12384	31424
1-10-2001	30-11-2001	18632	13045	31677
1-12-2001	31-1-2002	15074	14394	29468
1-2-2002	31-3-2002	7245	8880	16125
कुल योग				171758

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

श्री मो० इल्यास, पशुपालन राज्य मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	24449	18536	42985
1-6-2000	31-7-2000	28121	40714	68835
1-8-2000	30-9-2000	19929	56609	76538
1-10-2000	30-11-2000	15510	28426	43936
1-12-2000	31-1-2001	12598	23748	36346
1-2-2001	31-3-2001	14548	19273	33821
कुल योग				302461

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	14803	17412	32215
1-6-2001	31-7-2001	15718	25663	41381
1-8-2001	30-9-2001	15791	24779	40570
1-10-2001	30-11-2001	11932	41669	53601
1-12-2001	31-1-2002	11910	14339	26249
1-2-2002	31-3-2002	9008	17384	26392
कुल योग				220408

श्री रिसाल सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	17055	7038	24093
1-6-2000	31-7-2000	17206	7964	25170
1-8-2000	30-9-2000	16311	8371	24682

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-10-2000	30-11-2000	13239	7578	20817
1-12-2000	31-1-2001	13523	8771	22294
1-2-2001	31-3-2001	14684	9772	24456
कुल योग				141512

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	13360	8876	22236
1-6-2001	31-7-2001	22066	8416	30482
1-8-2001	30-9-2001	16320	8184	24504
1-10-2001	30-11-2001	16828	7056	23884
1-12-2001	31-1-2002	14054	6496	20550
1-2-2002	31-3-2002	8815	4756	13571
कुल योग				135227

श्री सुभाष गोयल, शहरी विकास मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	39842	9633	49475
1-6-2000	31-7-2000	44838	11161	55999
1-8-2000	30-9-2000	42680	13565	56245
1-10-2000	30-11-2000	39585	6081	45666
1-12-2000	31-1-2001	31790	6614	38404
1-2-2001	31-3-2001	38816	7322	46138
कुल योग				291927

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	45392	9717	55109
1-6-2001	31-7-2001	50897	5712	56609
1-8-2001	30-9-2001	57512	6513	64025
1-10-2001	30-11-2001	51168	6992	58160
1-12-2001	31-1-2002	34620	4055	38675
1-2-2002	31-3-2003	17182	4756	21938
कुल योग				294516

चौ० बहादुर सिंह, शिक्षा राज्य मंत्री हरियाणा के निवास स्थान तथा कार्यालय में लगे दूरभाष पर वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में हुए खर्च का विवरण

2000-2001

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2000	31-5-2000	24880	16782	41662
1-6-2000	31-7-2000	22910	31569	54479
1-8-2000	30-9-2000	21914	37852	59766
1-10-2000	30-11-2000	19564	30695	50259
1-12-2000	31-1-2001	17376	33630	51006
1-2-2001	31-3-2001	21752	17036	38788
कुल योग				295960

2001-2002

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-4-2001	31-5-2001	23738	41240	64978
1-6-2001	31-7-2001	24438	41386	65824
1-8-2001	30-9-2001	22106	49216	71322
1-10-2001	30-11-2001	19129	43289	62418

अवधि		कार्यालय	निवास	कुल राशि
1-12-2001	31-1-2002	21155	37268	58423
1-2-2002	31-3-2003	11234	19178	30412
कुल योग				353377

Power Bills of D.Cs.

163. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the month-wise details of the electricity bills of the residences-cum-camp office of all the Deputy Commissioners of the State during the year 2001-2002; and

(b) whether any financial limit has been fixed for the electricity bill of the above said officers ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य के सभी उपायुक्तों के निवास स्थानों के साथ कैम्प कार्यालयों के बिजली के बिलों की मासवार राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	जिले का नाम	अवधि	राशि
1.	पंचकूला	10-3-2001 से 10-5-01	717-00
		10-5-01 से 10-7-01	716-00
		10-7-01 से 10-9-01	18,475-00
		10-9-01 से 10-11-01	6,444-00
		10-11-01 से 10-1-02	7,679-00
		10-1-02 से 10-3-02	6,312-00
		कुल :	40,343-00
2.	कुरुक्षेत्र	7-2-01 से 7-4-01	6,997-00
		7-4-01 से 7-6-01	15,560-00
		7-6-01 से 7-8-01	26,607-00
		7-8-01 से 7-10-01	24,524-00

[श्री धीर पाल सिंह]

क्रम संख्या	जिले का नाम	अवधि	राशि
		7-10-01 से 7-12-01	16,118-00
		7-12-01 से 7-2-02	22,003-00
		कुल :	1,11,809-00
3.	कैथल	11-3-01 से 10-5-01	17,177-00
		11-5-01 से 10-7-01	16,148-00
		11-7-01 से 10-9-01	13,259-00
		11-9-01 से 10-11-01	6,927-00
		11-11-01 से 10-1-02	1,883-00
		11-1-02 से 28-2-02	9,686-00
		कुल :	65,080-00
4.	यमुनानगर	20-2-01 से 20-4-01	7,596-00
		20-4-01 से 20-6-01	8,419-00
		20-6-01 से 20-8-01	9,118-00
		20-8-01 से 20-10-01	5,574-00
		20-10-01 से 20-12-01	10,068-00
		20-12-01 से 20-2-02	10,803-00
		कुल :	51,578-00
5.	अम्बाला	25-2-01 से 10-4-01	12,635-00
		10-4-01 से 10-6-01	22,895-00
		10-6-01 से 10-8-01	36,867-00
		10-8-01 से 10-10-01	44,877-00
		10-10-01 से 10-12-01	20,829-00
		10-12-01 से 10-2-02	22,620-00
		कुल :	1,60,723-00

क्रम संख्या	जिले का नाम	अवधि	राशि
6.	रोहतक	21-2-01 से 21-4-01	8,015-00
		21-4-01 से 21-6-01	26,174-00
		21-6-01 से 21-8-01	27,635-00
		21-8-01 से 21-10-01	29,168-00
		21-10-01 से 21-12-01	19,121-00
		21-12-01 से 21-2-02	21,560-00
		कुल :	1,31,673-00
7.	पानीपत	25-3-01 से 25-5-01	27,935-00
		25-5-01 से 25-7-01	26,221-00
		25-7-01 से 25-9-01	27,634-00
		25-9-01 से 25-11-01	15,173-00
		25-11-01 से 25-1-02	11,983-00
		25-1-02 से 25-3-02	9,538-00
		कुल :	1,18,484-00
8.	करनाल	4-01 से 5-01	12,892-00
		6-01 से 7-01	26,576-00
		8-01 से 9-01	21,293-00
		10-01 से 11-01	20,679-00
		12-01 से 1-02	20,643-00
		2-02 से 3-02	4,044-00
		कुल :	1,06,127-00
9.	झज्जर	2-01 से 3-01	22,984-00
		4-01 से 5-01	18,499-00
		6-01 से 7-01	13,026-00
		8-01 से 9-01	13,618-00

[श्री धीर पाल सिंह]

क्रम संख्या	जिले का नाम	अवधि	राशि
		10-01 से 11-01	14,320-00
		12-01 से 1-02	22,152-00
		कुल :	1,04,599-00
10.	सोनीपत	28-2-01 से 30-4-01	4,468-00
		30-4-01 से 27-6-01	8,441-00
		27-6-01 से 30-8-01	35,989-00
		30-8-01 से 30-10-01	5,669-00
		30-10-01 से 28-12-01	4,939-00
		28-12-01 से 26-2-02	7,476-00
		कुल :	66,982-00
11.	गुड़गावां	12-2-01 से 12-4-01	10,359-00
		12-4-01 से 12-6-01	31,589-00
		12-6-01 से 12-8-01	24,169-00
		12-8-01 से 12-10-01	52,440-00
		12-10-01 से 14-12-01	21,461-00
		14-12-01 से 12-2-02	14,211-00
		कुल :	1,54,229-00
12.	रेवाड़ी	4-01 से 5-01	12,838-00
		6-01 से 7-01	15,519-00
		8-01 से 9-01	19,783-00
		10-01 से 11-01	18,903-00
		12-01 से 1-02	13,767-00
		2-02 से 3-02	19,653-00
		कुल :	1,00,463-00

क्रम संख्या	जिले का नाम	अवधि	राशि
13.	नारनौल	4-2-01 से 4-4-01	16,972-00
		4-4-01 से 4-6-01	16,384-00
		4-6-01 से 4-8-01	10,396-00
		4-8-01 से 4-10-01	11,107-00
		4-10-01 से 4-12-01	7,106-00
		4-12-01 से 4-2-02	10,239-00
		कुल :	72,204-00
14.	फरीदाबाद	19-2-01 से 19-4-01	6,974-00
		19-4-01 से 19-8-01	9,226-00
		19-8-01 से 17-10-01	8,150-00
		17-10-01 से 17-12-01	6,402-00
		17-12-01 से 17-2-02	7,600-00
		कुल :	38,352-00
15.	हिसार	1-4-01 से 1-6-01	10,141-00
		1-6-01 से 1-8-01	16,443-00
		1-8-01 से 1-10-01	12,114-00
		1-10-01 से 1-12-01	4,455-00
		1-12-2001 से 1-2-2002	6,493-00
		1-2-02 से 1-4-02	6,396-00
		कुल :	56,042-00
16.	जीन्द	4-01 से 5-01	4,632-00
		6-01 से 7-01	5,500-00
		8-01 से 9-01	4,913-00
		10-01 से 11,01	4,322-00
		12-01 से 1-02	2,818-00
		2-02 से 3-02	3,543-00
		कुल :	25,738-00

[श्री धीर पाल सिंह]

क्रम संख्या	जिले का नाम	अवधि	राशि
17.	फतेहाबाद	19-3-01 से 19-5-01	9,650-00
		19-5-01 से 19-7-01	12,716-00
		19-7-01 से 19-9-01	18,281-00
		19-9-01 से 19-11-01	16,551-00
		19-11-01 से 19-1-02	14,874-00
		19-1-02 से 19-3-02	19,197-00
		कुल :	91,269-00
18.	भिवानी	4-01 से 5-01	2,179-00
		6-01 से 7-01	2,179-00
		8-01 से 9-01	2,179-00
		10-01 से 11-01	2,094-00
		12-01 से 1-02	2,225-00
		2-02 से 3-02	2,210-00
		कुल :	13,066-00
19.	सिरसा	15-1-01 से 15-3-01	12,594-00
		15-3-01 से 15-5-01	16,230-00
		15-5-01 से 15-7-01	32,173-00
		15-7-01 से 15-9-01	30,335-00
		15-9-01 से 15-11-01	17,144-00
		15-11-01 से 15-1-02	12,158-00
		कुल :	1,20,634-00

(ख) नहीं।

———

Number of Power Sub-stations constructed in the State

168. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise number of Power Sub-stations constructed in the State during the years 2000-2001, 2001-2002 and 2002-2003 alongwith the amount spent on them ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान राज्य में निर्मित पावर स्टेशनों की जिलानुसार संख्या तथा उन पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

जिला	2000-01		2001-02		2002-03	
	संख्या	लागत (रुपये लाखों में)	संख्या	लागत (रुपये लाखों में)	संख्या	लागत (रुपये लाखों में)
पंचकूला	—	—	1	295	1	341
यमुनानगर	—	—	—	—	1	1375
कुरुक्षेत्र	—	—	—	—	1	81
कैथल	1	66	—	—	1	94
करनाल	—	—	1	128	2	886
पानीपत	—	—	—	—	1	112
सोनीपत	1	273	—	—	—	—
झज्जर	1	78	—	—	—	—
हिसार	—	—	1	234	—	—
फतेहाबाद	—	—	1	130	1	1508
सिरसा	1	56	—	—	2	671
महेन्द्रगढ़	—	—	2	175	3	3018
रिवाड़ी	1	229	1	108	—	—
फरीदाबाद	—	—	3	1080	1	611
गुड़गांव	—	—	2	685	1	215
कुल नए उपकेन्द्र	5	702	12	2835	15	8912
नए उपकेन्द्रों, क्षमता वृद्धियों तथा प्रसार लाइनों पर कुल खर्च।		5745		6835		13496

Number of Circles in Public Works (B & R) Department

169. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of circles in Haryana Public Works Department (Building and Road) at present; and

(b) the circle-wise amount spent on repair and widening of roads during the years 2000-2001, 2001-2002 and 2002-2003 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) इस समय लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) में 14 सर्कल हैं, जिनमें से 8 सिविल सर्कल, 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग सर्कल, 2 विश्व बैंक, 1 विद्युत तथा 1 यांत्रिक सर्कल है।

(ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान सड़कों की मरम्मत करने/ चौड़ा करने पर सर्कलवार खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक संख्या	सर्कल का नाम	वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये लाखों में)			कुल योग
		2000-01	2001-02	2002-03	
1.	अम्बाला	848.00	1133.00	1964.00	3945.00
2.	भिवानी	1245.00	3242.00	2153.00	6640.00
3.	चण्डीगढ़	1785.00	5523.00	3566.00	10874.00
4.	गुड़गांवा	1333.00	2390.00	1552.00	5275.00
5.	हिसार	1930.00	5088.00	6020.00	13038.00
6.	जीन्द	1194.00	3366.00	2296.00	6856.00
7.	करनाल	2082.00	4539.00	3173.00	9794.00
8.	रोहतक	1937.00	2316.00	2769.00	7022.00
9.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग करनाल	1721.00	2107.00	2448.00	6276.00
10.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग फरीदाबाद	4276.00	5505.00	4100.00	13881.00
11.	विश्व बैंक-I	—	—	—	—
12.	विश्व बैंक-II	—	—	—	—
13.	विद्युत करनाल	—	—	—	—
14.	यांत्रिक करनाल	—	—	—	—
	कुल योग	18351.00	35209.00	30041.00	83601.00

Controlling the breeding of Mosquitoes

167. Sh. Jagjit Singh : Will the Minister of State for Health be pleased to state the steps so far taken or proposed to be taken to control the breeding of mosquitoes and the diseases spreading from mosquitoes ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : हरियाणा राज्य में मच्छरों द्वारा तीन प्रकार की बीमारियां फैलाई जाती हैं :—

1. मलेरिया
2. डेंगू
3. जापानी एनसीफिलाईटिस

1. मलेरिया

मलेरिया रोग कुछ एनाफिलीज़ प्रजातियों के मच्छरों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में फैलाया जाता है। इन मच्छरों की रोकथाम हेतु निम्न पग उठाए जा रहे हैं :—

— राज्य के 17 शहरी क्षेत्रों (सूची साथ संलग्न है) में शहरी मलेरिया योजना चलाई जा रही है, वहां पर मच्छरों की रोकथाम हेतु प्रति सप्ताह बेटैक्स, टेमीफास तथा एम०एल०ओ० का छिड़काव एण्टी लारवल टीमों द्वारा किया जा रहा है। इन शहरों में यह कार्य सारा वर्ष चलाया जाता है। विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में लारवानाशक दवाईयां उपलब्ध हैं।

— इन शहरों में यह कार्य 179 टीमों द्वारा किया जाता है।

— इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार फोगिंग कार्य करने हेतु विभाग के पास मैलाथीन टैक्नीकल तथा पेराथ्रीम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

— भारत सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों पर नियन्त्रण पाने हेतु कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाता है। हरियाणा राज्य में मलेरिया के केस काफी कम हैं, इसलिए भारत सरकार की नीति के अनुसार मलेरिया के पाये गये रोगी के घर के आस-पास के 50 घरों में कीटनाशक दवाई मैलाथीन का छिड़काव जून से अक्तूबर तक किया जाता है।

— विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाई उपलब्ध है। छिड़काव कार्य जुलाई से अक्तूबर तक किया जाता है। यहां पर यह भी कथन है कि हरियाणा राज्य में मलेरिया की स्थिति काफी नियन्त्रण में है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मलेरिया केसिस		बढ़ोतरी/कमी	मलेरिया से
	कुल	पी०एफ०	प्रतिशत में	मृत्यु
1996	128232	27869	+ 115.0	26
1997	69710	2218	- 45.6	0
1998	12115	305	- 82.6	0

[डॉ० एम०एल०रंगा]

वर्ष	मलेरिया केसिस		बढ़ोतरी/कमी	मलेरिया से
	कुल	पी०एफ०	प्रतिशत में	मृत्यु
1999	2604	211	- 78.4	0
2000	1050	157	- 59.7	0
2001	1202	143	+ 14.7	0
2002	936	41	- 22.5	0
2003 (15 अगस्त तक)	230	8	- 38.3	0

2. डेन्गू

डेन्गू रोग एडीज़ मच्छरों, जिनका प्रजनन घरों के अन्दर कूलरों, घड़ों, गमलों, टायरों, टैंकियों आदि में एकत्रित पानी में होता है, द्वारा फैलाया जाता है। इन मच्छरों के नियन्त्रण हेतु निम्न पग उठाए जा रहे हैं :—

— डेन्गू प्रभावित क्षेत्रों में एडीज़ मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों में लारवानाशक दवाई टैमीफास का छिड़काव किया जाता है।

— जिन क्षेत्रों में एडीज़ मच्छरों का अधिक घनत्व पाया जाता है, उन क्षेत्रों में घरों के अन्दर मैलाथीन टैक्नीकल व किंग फोक (डैल्टामैथरीन) से फोगिंग करवाई जाती है।

राज्य में वर्ष 2002 में डेन्गू के 10 केस पाए गये थे, जबकि वर्ष 2003 में 15 अगस्त तक डेन्गू का कोई केस नहीं पाया गया है।

3. जापानी एनसीफिलाईटिस (जे०ई०)

राज्य में कुछ धान की फसल उगाने वाले जिलों जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जीन्द इत्यादि में वर्ष 1990 से जापानी एनसीफिलाईटिस के केस पाये जा रहे हैं। यह बीमारी कुछ क्यूलैक्स मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, जिसके नियन्त्रण हेतु निम्न पग उठाये जा रहे हैं :—

— कीटनाशक दवाई मैलाथीन का छिड़काव इन मच्छरों के विश्राम वाले स्थानों जैसे पीगरीज़, पोल्ट्रीज़ एवं कैटलशैडस इत्यादि में करवाया जाता है। इनमें नियमित छिड़काव के तीन दौर जुलाई से नवम्बर तक करवाये जाते हैं।

— गत तीन वर्षों में जिन क्षेत्रों में जापानी बुखार के केस पाये गये थे, उन क्षेत्रों व उन क्षेत्रों के आस-पास के गांवों में कीटनाशक मैलाथीन छिड़काव के तीन दौर 1 जुलाई से करवाये जा रहे हैं।

राज्य में वर्ष 2002 में जापानी एनसीफिलाईटिस के 59 सम्भावित केस पाये गये थे, जबकि इस वर्ष 15-8-2003 तक कोई केस नहीं पाया गया है।

हरियाणा राज्य में अर्बन मलेरिया स्कीम के शहरों के नाम

1. अम्बाला
2. भिवानी
3. फरीदाबाद
4. गुड़गाँव
5. हिसार
6. जीन्द
7. कैथल
8. करनाल
9. नारनौल
10. पलवल
11. पंचकूला
12. पानीपत
13. रोहतक
14. सिरसा
15. सोनीपत
16. थानेसर
17. यमुनानगर

Grant given to Civil Hospitals

181. Sh. Shadi Lal Batra : Will the Minister of State for Health be pleased to state the district-wise amount of grant (Head-wise) released to the Civil Hospitals in the State during the last four years togetherwith the number of posts out of sanctioned post lying vacant in the said Hospitals at present ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : गत चार वर्षों में राज्य के सामान्य हस्पतालों को जिलावार ग्रांट की गई राशि (शीर्षवार) जो जारी की गई है उसकी सूचना अनैक्सचर 'क' पर है।

इसके साथ उन हस्पतालों में स्वीकृत पदों में से कितने पद इस समय खाली पड़े हुए हैं, उन पदों की सूचना अनैक्सचर 'ख' पर है।

[डॉ० एम०एल०रंगा]

अनैक्सचर — क

हरियाणा राज्य के सिविल हस्पतालों में पिछले चार वर्षों से मुख्य शीर्ष 2210-मैडीकल एण्ड पब्लिक हैल्थ में अलाट किया गया बजट (लाखों में)

जिला	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
अम्बाला	7.27	366.85	10.29	461.90	10.34	442.99	39.92	465.39
भिवानी	13.45	398.45	26.16	502.20	23.30	550.27	54.72	560.95
फरीदाबाद	17.21	306.65	21.20	310.92	9.72	334.94	50.88	340.39
गुड़गांव	7.82	239.88	15.07	255.35	37.05	276.84	140.52	305.02
हिसार	8.12	297.60	9.93	338.00	12.69	348.96	24.93	378.34
जींद	9.91	194.55	11.72	258.70	6.30	251.54	25.90	261.77
कुरुक्षेत्र	2.71	151.80	5.73	170.36	6.72	180.10	22.71	192.64
करनाल	5.26	243.77	6.11	254.74	7.22	269.87	30.59	285.15
कैथल	39.51	59.55	55.38	72.98	52.48	78.36	21.02	132.12
नारनौल	8.58	110.76	7.24	133.47	7.77	158.78	18.76	172.36
पानीपत	4.85	108.60	5.74	135.53	8.21	135.74	16.96	146.80
रोहतक	8.29	66.32	9.05	83.03	12.21	85.22	20.23	86.97
रेवाड़ी	2.86	60.88	3.43	73.28	3.15	70.13	33.24	72.97
सोनीपत	14.46	141.47	16.03	172.94	18.52	175.33	35.05	199.20

जिला	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
सिरसा	13.25	141.17	13.39	215.75	18.45	208.08	37.64	253.84
यमुनानगर	6.12	113.30	6.66	97.10	12.96	147.26	30.75	155.84
फतेहाबाद	9.11	108.88	12.02	126.15	13.78	128.92	17.77	148.61
झज्जर	—	56.10	18.22	68.55	13.10	40.57	2.41	68.41
पंचकूला	164.35	43.94	178.60	42.73	199.32	43.96	15.27	236.41
कुल	343.13	3210.52	431.97	3773.68	473.29	3927.86	639.27	4463.18
ग्रांड टोटल	3553.65		4205.65		4401.15		5102.45	

[डॉ० एम०एल०रंगा]

अनैक्सचर-ख

रिक्त पदों बारे सूचना

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	एस०एम०ओ० / एम०ओ०	490	—
2.	एम०पी०एच० (मेल)	9	5
3.	फिजियोथ्रेरेपिस्ट	17	7
4.	टी०बी० हैल्थ विजीटर	36	16
5.	प्रयोगशाला तकनीशियन	141	28
6.	बायो कैमिस्ट	7	4
7.	कैमिस्ट	29	14
8.	मुख्य लिपिक	14	3
9.	सहायक	20	—
10.	लिपिक	106	14
11.	कनिष्ठमान आशुलिपिक	7	4
12.	स्टोर कीपर	37	3
13.	स्टैनो टाईपिस्ट	4	3
14.	चालक	66	18
15.	रेडियोग्राफर	51	5
16.	औषधकारक	273	18
17.	नेत्र सहायक	12	—
18.	सामाजिक कार्यकर्ता	8	3
19.	ई०सी०जी० तकनीशियन	6	1
20.	पलम्बर	18	4
21.	डाईटिशियन	8	2
22.	ओ०टी०ए०	38	10
23.	आंकड़ा सहायक	7	4
24.	कम्प्यूटर	4	1
25.	दन्तक सर्जन	37	—
26.	दन्तक सहायक	26	1
27.	स्टाफ नर्स	901	149
28.	नर्सिंग सिस्टर	179	18

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
29.	मैट्रन	13	3
30.	एम०पी०एच०एस० (एफ)	31	8
31.	एम०पी०एच० डब्ल्यू० (एफ)	106	1

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

गन्ना उत्पादकों के बकाया संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Notice of Adjournment Motion from Capt. Ajay Singh Yadav and six other M.L.As. regarding delay on the part of the State Government to release the arrears of cane growers in the State. The notice does not meet the requirements as mentioned in Rule-68 of our Assembly Rules and the same cannot be admitted as such. However, keeping in view the importance of the matter, I admit it as a Calling Attention Motion. Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. may read his notice.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैंने आंगनवाड़ी के बारे में ... (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : स्पीकर सर, आप यह पढ़ने से पहले हमारी बात तो सुनें। मैं जीरो आवर के बारे में बात करना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, कृपा आप बैठें। आपकी पार्टी की तरफ से मेरे पास जो कुछ भी लिखकर आया है उस पर आपके कहीं भी दस्तख़त नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) कृपा आप बैठें। आपको प्रोसीजर मालूम नहीं है। दस्तख़त करने में आप परहेज करते हैं। किसी में आपने अपना नाम दें नहीं रखा और बोलना सबसे ज्यादा चाहते हैं। कृपा आप बैठें।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप जो भी चाहते हैं वह लिखकर दें। कृपा अब आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न करें। कृपा आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि जीरो आवर होगा या नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपको सप्लीमैंटरी पूछने का अवसर दिया जायेगा। कृपा आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर साहब, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्डिंग नहीं। जय प्रकाश जी आपको भी सप्लीमैंटरी पूछने का अवसर दिया जायेगा। कृपा आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप अपना नोटिस पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप खड़ें न हों। आपने कुछ भी लिखकर नहीं दिया। कृपा आप बैठिये। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : स्पीकर सर, * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आज के लिए तीन कालिंग अटैंशन मोशन एडमिट किए हैं जिनमें से दो आपकी पार्टी के हैं। जिन-जिन सदस्यों ने ये दिए हैं वे एक-एक सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : स्पीकर सर, * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। आपने कुछ लिखकर तो दिया नहीं है। आपका कोई सबजैक्ट नहीं है, प्लीज, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज जो ये तीन कालिंग अटैंशन मोशन टेकअप किए जा रहे हैं ये जीरो आवर में ही किए जा रहे हैं। जिन-जिन सदस्यों ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया है वे एक-एक सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) कृपा आप सभी बैठें। हुड्डा साहब, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को कन्ट्रोल करें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, रूल्ज में कहीं भी जीरो आवर का प्रोवीजन नहीं है। आप Rules of Procedure & Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly की बुक पढ़कर तो देखें। आपको प्रोसीजर तो मालूम हैं नहीं, यदि बुक में कहीं जीरो आवर का प्रोवीजन है तो आप पढ़कर बतायें। यह एक कन्वैंशन है जिसको हम फोलो करते आ रहे हैं। कृपा आप बैंठे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगजीत जी, प्लीज आप बैंठें। (शोर एवं व्यवधान) सिट डाउन प्लीज।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, इनको हाउस की मर्यादा को कायम रखना चाहिए। हाउस का समय बड़ा कीमती है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही। आप रूल्ज को फोलो

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

करें। प्लीज, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप अपना नोटिस पढ़ें। यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं अगला आईटम टेकअप करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पहले आप इनको तो बैठायें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ********* (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिये। किसी की भी बात को रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ********* (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात नहीं सुन रहे, इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदस्य श्री राम किशन फौजी सदन से वाक-आउट करके चले गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव--

गन्ना उत्पादकों के बकाया संबंधी (पुनरारम्भ)

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ********* (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ********

श्री अध्यक्ष : आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है (विघ्न) आपने जो कुछ भी देना है वह मेरे चैम्बर में मिलकर आप दे देना। (विघ्न) हुड्डा साहब, आप बैठिये (विघ्न) हम इसको देख लेंगे आप सभी बैठें। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, ये आपकी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं, क्या इनकी बात रिकॉर्ड हो रही है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। हुड्डा साहब, आप अपनी सीट पर बैठिए (विघ्न) प्रोफैसर साहब, आप बोलिये। (विघ्न) हुड्डा साहब, आप बैठिये, पार्लियामैंट्री अफेयरज मिनिस्टर बोलने के लिए खड़े हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। (विघ्न)

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलते रहे।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठें। (शोर एवं व्यवधान) पहले पार्लियामैंट्री अफेयरज मिनिस्टर को बोलनें दें (विघ्न) हुड्डा साहब, आज तीन कालिंग अटैंशन मोशन्ज़ हैं जिनमें से दो कालिंग अटैंशन मोशन्ज़ आपकी पार्टी के लोगों की हैं। (विघ्न) तीन कालिंग अटैंशन मौशन्ज़ कभी हुई नहीं यह तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। इतना विस्तृत समय पहले कभी नहीं दिया गया और इतनी डिटेल्ड डिस्कशन भी पहले कभी नहीं हुई। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है, मेहरबानी करके आप हाउस का डैकोरम बनाएं ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग किस लिए खड़े हैं? (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी हुई है लेकिन ये लोग अपनी सीटों पर खड़े हुए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप तो डिसिप्लिंड हो, आप इनडिसिप्लिंड तो नहीं हो। (विघ्न) कम से कम आप तो डिसिप्लिन में रहो। (विघ्न) आप तो लीडर हैं, कम से कम आप तो डिस्पिलिन में रहें। (विघ्न)

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलते रहे।)

आप सभी लोग बैठें, आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। (विघ्न) अब पार्लियामैंट्री अफेयरज मिनिस्टर बोलें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, (विघ्न) This is not the way. (विघ्न) स्पीकर साहब, अनावश्यक तौर पर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप अपने पीछे देखें। (विघ्न) हुड्डा साहब, आप मेहरबानी करके बैठें। (विघ्न) जगजीत सिंह जी, आप भी बैठ जाएं। राव इन्द्रजीत सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) पार्लियामैंट्री अफेयरज मिनिस्टर खड़े हैं पहले उन्हें बोलने दें उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। (विघ्न) राव साहब, इस स्टेज पर कोई प्वांयट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

प्रो. सम्पत सिंह : प्वांयट ऑफ ऑर्डर किस बात का है when nothing has been said तो प्वांयट ऑफ ऑर्डर किस बात का है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, राव साहब, पहले आप लोग बैठ जाईये। (विघ्न) यह बुक हमारे पास भी है। आप बैठिए (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप मुझे बार-बार बोलने के लिए टाइम दे रहे हैं लेकिन उधर ये लोग खड़े हुए हैं।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, **********

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप बैठ जाइये (विघ्न) बिना इजाजत के जो भी बोला जा रहा है, वह रिकॉर्ड न किया जाए। (विघ्न) आप सभी लोग बैठिये, आप क्यों हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं? (विघ्न) इसमें कोई जीरो आवर नहीं है, आप पढ़ कर देखें कोई जीरो आवर नहीं है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Prof. Sampat Singh : When nothing has been said, what is point of order ? (interruption)

श्री अध्यक्ष : रूल्ज में कोई जीरो आवर नहीं है, मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। राव इन्द्रजीत सिंह जी, जीरो आवर ही नहीं है तो उसमें इस तरह का प्रश्न कहां से आ जाएगा ? (विघ्न) जय प्रकाश जी, आप बैठिये, सदन के नेता खड़े हैं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, ये जिम्मेदार लोग हैं। अध्यक्ष जी की ओर से कालिंग अटैंशन मोशन के लिए एक नाम प्रस्तुत कर दिया गया है और उसके बोलने से पहले ही इन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। राव साहब, अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई है तो प्वायंट ऑफ ऑर्डर किस बात का है, आप तो जिम्मेदार आदमी हैं। (विघ्न) भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के बस की तो बात नहीं है वे मोटे दिमाग के आदमी हैं लेकिन आपको तो इस बात का ज्ञान है, आप तो पार्लियामैंटेरियन रहे हुए हो। (विघ्न) आप यह बताएं कि आप किस बात पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : * * * * ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जब कोई अभी चर्चा ही नहीं हुई है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है तो प्वायंट ऑफ ऑर्डर किस बात का। अध्यक्ष महोदय ने काल अटैंशन मोशन को पढ़ने के लिए आदेश दिया है और आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए खड़े हो गए हो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। आप किस की इजाजत से बोलने के लिए खड़े हुए हो ? आप बिना इजाजत के मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान) रूल्ज में जीरो ऑवर की कोई व्यवस्था नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : * * * * ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आपको अध्यक्ष का फैसला मानना पड़ेगा। आप कुर्सी को कैसे चैलेंज कर सकते हैं ? आप कुर्सी को चैलेंज नहीं कर सकते हो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : * * * * ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या आप चेयर को चैलेंज कर रहे हो, चैयर के फैसले को नहीं मान रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : * * * * ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप सदन में यह बताएं कि क्या आप चेयर को चैलेंज कर रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप बिना इजाजत के मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान बोलने के लिए खड़े हो गए।)** आप सब अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बिना इजाजत के मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, सदन की कार्यवाही को देखने के लिए आज यहां पर स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे आए हुए हैं, ये बच्चे यहां से क्या सीख कर जाएंगे ? (शोर एवं व्यवधान) इनका बाहर का शो जैसा रहता है वह तो रहता ही है लेकिन ये सदन के अन्दर भी इस तरह से कर रहे हैं। कभी वह खड़ा हो जाता है तो कभी वह खड़ा हो जाता है। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। आप इनको बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) प्रो० सम्पत सिंह जी बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी सीटों पर नहीं बैठ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप इनको बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : * * * * ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी बोलना चाहते हैं आप उनको बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठिए। इन्द्रजीत सिंह जी, मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं, आप उनको बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान) अब ये जो भी बोलें वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) आपका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : * * * * *।

चौधरी भजन लाल : * * * * *।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आप बिना इजाजत के मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : अभी बहस शुरू हुई नहीं है और आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हो गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप का किस बात पर प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ? (शोर एवं व्यवधान) इनका किसी का भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) धर्मबीर सिंह जी, आपका किस बात पर व्यवस्था का प्रश्न है ? (शोर एवं व्यवधान) आपका किसी का भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) रघुबीर सिंह जी, आप बिना इजाजत के मत बोलिए। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) रघुबीर सिंह जी, मैं आपको वार्न करता हूँ।

राव इन्द्र जीत सिंह : * * * * *।

श्री अध्यक्ष : आपका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) **(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।)** रघुबीर सिंह जी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन अजय सिंह, अब आप अपना नोटिस पढ़े (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : स्पीकर सर, * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह, अब आप अपना नोटिस पढ़िये। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : स्पीकर सर, * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। हमारे रूल्ज में जीरो ऑवर नहीं है लेकिन कन्वैंशन है इसलिए आपको कई बार बोलने के लिए समय दिया जाता है कई बार डिस्कशन भी हुई है और होंगी भी। मैंने कांग्रेस पार्टी के दो काल अटैंशन मोशंज एडमिट किए हैं इसलिए आप इसमें विघ्न न डालें। अब कैप्टन अजय सिंह अपना नोटिस पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो भी भजन लाल जी मेरी परमिशन के बगैर बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो इनके द्वारा आपकी इजाजत के बगैर बोला गया है मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इनकी वह बात रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए। ये बगैर आपकी इजाजत के बोल रहे हैं इसलिए अब तक जितना भी इन्होंने बोला है वह रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब तक और आगे जो भी मेरी परमिशन के बगैर बोला जा रहा है वह रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, स्पीकर सर, * * *

वाक-आउट

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, अगर आप मुझे प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर भी अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं तो मैं इसके विरोध में वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह सदन से वाक-आउट कर गए।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

गन्ना उत्पादकों के बकाया संबंधी (पुनरारम्भ)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय,* * * * *

श्री अध्यक्ष : जीरो ऑवर के बारे में फैसला कर दिया इसलिए अब आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन अजय सिंह, अब आप अपना नोटिस पढ़ें।

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance in order to discuss the issue on account of the delay on the part of the Sugar Mills and the Co-operative Sugar Mills to release the arrears of the Sugarcane growers in the State of Haryana. I further state that the Sugarcane growers have suffered a lot on account of mal-administration, negligence and carelessness of the State Government due to which they have reached the point of starvation. There is great resentment among them forcing to stage protests and dharnas throughout the State. This issue requires immediate discussion. Therefore, I urge the Government to make a statement on the floor of the House in this regard.

Mr. Speaker : Now, the Agriculture Minister will make a statement.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, अब आप बैठिए। अब ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर अपनी स्टेटमैन्ट देंगे।

सदस्य का नाम लेना

Dr. Raghubir Singh Kadian : Sir, I want to speak on a point of order.

Mr. Speaker : No- No, Please sit down. I warn you again.

Dr. Raghubir Singh Kadian : Speaker Sir, please listen to me.

Mr. Speaker : Dr. Raghubir Singh Kadian, I name you. You may please leave the House.

(At this stage Dr. Raghubir Singh Kadian withdrew from the House.)

वक्तव्य—

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री (स० जसविन्द्र सिंह संधू) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य नहीं है कि प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार के कु-प्रबन्धन, लापरवाही एवं असावधानी और चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान में हुए विलम्ब के कारण नुक्सान हुआ है। वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है :—

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

1. सहकारी चीनी मिलों ने अगेती किस्मों के लिए 110 रुपए प्रति क्विं०, मध्यम किस्मों के लिए 106 रुपए प्रति क्विं० सामान्य किस्मों के लिए 104 रुपये प्रति क्विं० का उच्चतम भाव किसानों को दिया।

2. गन्ने के भुगतान में कोई असामान्य देरी नहीं हुई है क्योंकि सहकारी चीनी मिलों द्वारा कुल देय राशि 387.53 करोड़ रुपए में से, 339.77 करोड़ रुपए की धन राशि का भुगतान किसानों को दिनांक 8-9-2003 तक पहले ही कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों की समस्त राशि के भुगतान करने के लिए 30.00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिनांक 9-9-2003 को जारी किया है।

गन्ना पिराई सत्र 2002-2003 के लिए, राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 231.63 करोड़ रुपए की देय धन राशि में से किसानों को 206.62 करोड़ रुपए की राशि का अब तक भुगतान कर दिया है और बकाया राशि 25.01 करोड़ रुपए का जल्द ही अदा किए जाने की सम्भावना है।

3. सरकार तथा चीनी मिलों द्वारा कुशल-प्रशासन, क्लोज मोनोटरिंग एवं सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप सहकारी चीनी मिलों के कार्य परिणामों में पिछले 4 वर्षों के दौरान अत्याधिक सुधार हुआ है।

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-2003
गन्ना पिराई (लाख क्विंटल)	247.62	274.71	342.68	361.39	361.52
चीनी की प्राप्ति (रिकवरी प्रतिशत)	8.64	8.97	9.56	9.64	9.79
चीनी का उत्पादन (लाख क्विंटल)	21.39	24.62	32.76	34.74	35.40

(i) सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना पिराई की मात्रा वर्ष 1998-99 की 247.62 लाख क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2002-03 में 361.52 लाख क्विं० हो गई।

(ii) गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की रिकवरी में वर्ष 1998-99 की 8.64% से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 में 9.79% की गई।

(iii) चीनी का उत्पादन वर्ष 1998-99 में 21.39 लाख क्विं० से बढ़कर 35.40 लाख क्विं० किया गया। जोकि अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है।

(iv) चीनी की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया और बड़े दाने का उत्पादन वर्ष 1998-99 के 40 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002-2003 में 74 प्रतिशत तक बढ़ा है।

(v) राज्य की सहकारी चीनी मिलों की चीनी की बिक्री दर देश में सर्वाधिक है।

[स० जसविन्द्र सिंह संधू]

(vi) राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना विकास, तकनीकी तथा वित्तीय मापदंडों के क्षेत्र में राज्य की सहकारी चीनी मिलों द्वारा 8 में से सर्वाधिक 5 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। करनाल सहकारी चीनी मिल देश की सर्वश्रेष्ठ चीनी मिल घोषित की गई है।

पिछले 4 वर्षों की अवधि मे राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों को सर्वाधिक गन्ने का भाव दिया गया। पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सवैंधानिक मूल्य की तुलना में राज्य की सहकारी चीनी मिलों ने 515 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया और इस प्रकार गन्ना उत्पादकों में कोई रोष या व्यथा नहीं है। अत: इसमें कोई कु-प्रबन्धन, असावधानी तथा लापरवाही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अजय सिंह जी, आप ब्रीफ क्वैश्चन पूछें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि टोटल जो एरियर बताया है वह 25.01 करोड़ रुपया बताया है और यह पैसा प्राइवेट शूगर मिल और को-ऑपरेटिव शूगर मिल वालों की तरफ बकाया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने यह वायदा नहीं किया था कि 15 दिन के अंदर शूगर केन ग्रोवर्ज को उनका बकाया पैसा दे देंगे? इसके अलावा मैं यह जानना चाहूँगा कि सैंटर से टोटल कितना पैकेज इसके लिए मिला है? इस बारे में कई बार चर्चा आई है कि केन्द्रीय सरकार ने 600 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है मैं जानना चाहूँगा कि सैंटर से कितना पैसा मिला है यह भी बतायें कि उसमें क्या कोई ऐसी कंडीशन लगा रखी है कि वह लोन है या ग्रांट की शेप में है? क्या वह किसानों को लौटाना होगा और यदि लौटाना होगा तो क्या इंट्रैस्ट समेत देना होगा? अगर लोन है तो यदि किसान उसे लेता है तो क्या कोई ऐसी कंडीशन लगाई है कि स्टेट अपना ऐडरवाईजरी प्राइस कमीशन नहीं बैठायेगी?

11.00 बजे

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरे प्रदेश को अवगत कराना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य दिया है। अगर मैं यह कहूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा कि विश्व के स्तर पर हरियाणा प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य दिया है। सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य की निरन्तर पेमैंट दे रही है और मैंने पहले भी कहा था और फिर सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस माह के अन्त तक गन्ना उत्पादक किसानों का एक-एक पैसा सरकार की तरफ से दे दिया जायेगा। जहां तक मेरे सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा कि प्राईवेट शूगर मिलें और विशेष रूप से यह कहा कि पेमैंट लेट हो गई है क्या सरकार उस पैसे पर किसानों को ब्याज देगी। केन्द्र की तरफ से जो निर्धारित मूल्य होता है उससे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अधिक मूल्य किसानों को दिया है और उसकी वजह से लगभग 515 करोड़ रुपये किसानों को फालतू मिले हैं। इस वर्ष 97 करोड़ रुपये फालतू दिये हैं वे ब्याज से कई गुणा ज्यादा हैं। पिछले साल तक प्राईवेट शूगर मिलें सरकार के निर्धारित मूल्य किसानों को देती रही हैं। इस साल सरकार की तरफ से गन्ने का निर्धारित मूल्य उन्होंने किसानों को नहीं दिया है। प्राईवेट शूगर मिलों को सरकार इस बात के लिए कहेगी कि वे इस साल का गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य किसानों को दें। जहां केन्द्र सरकार के घोषित पैकेज की चर्चा की गई थी। वह पैकेज मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इस पैकेज को बड़ा चर्चित किया गया था और हरियाणा प्रदेश के किसान भी बड़े खुश हुए थे कि इस पैकेज से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। दिनांक 18 जुलाई, 2003 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत सरकार ने गन्ना उत्पादकों के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। इस धन राशि की

घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सुझाए गये गन्ने के मूल्य एस०ए०पी० तथा भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम संविधिक मूल्य एम०एस०पी० के अन्तर की पूर्ति करने हेतु गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस पर कथित उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से 151.62 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की गई थी। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा दिनांक 24-8-2003 को विभिन्न राज्यों के गन्ना उत्पादकों के लिए 678 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से की गई थी। सरकार के पास आज तक लिखित रूप में कुछ नहीं आया है। समाचार-पत्रों के आधार पर जो चर्चाएं हैं मैं उसका उल्लेख करने जा रहा हूँ। इसमें हरियाणा राज्य को 84.73 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है। समाचार-पत्रों में घोषित इस पैकेज के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जिन राज्यों को यह धन-राशि दी जायेगी वे राज्य भविष्य में गन्ने का राज्य संविधिक मूल्य एस०ए०पी० निर्धारित नहीं कर सकेंगीं। पैकेज का लाभ लेने वाली राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षा की कि 1997 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय जिससे गन्ने के राज्य सुझावित मूल्य पर रोक लगा दी गई थी के विरोध में राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एस०एल०पी० को वापिस लेंगी। यह उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि पश्चिमी एवं दक्षिणी राज्यों में चीनी की रिकवरी प्रतिशत अधिक होने के कारण भारत सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम संविधिक मूल्य के आधार पर भी वहां के किसानों को गन्ने की अच्छी कीमत मिल जाती है। जबकि हरियाणा जैसे राज्य में जहां चीनी की रिकवरी प्रतिशत कम है किसानों को यदि न्यूनतम संविधिक मूल्य के आधार पर गन्ने की कीमत दी जायेगी तो वह लागत मूल्य भी वापस नहीं होगा जोकि गन्ने की पैदावार के लिए खर्च कर दिया गया है। यह पैकेज केवल निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए ही हैं। इस पैकेज राशि को राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दिया जाना है न कि अनुदान के रूप में और यह ऋण सीधा राज्य सरकारों को ही दिया जायेगा और राज्य सरकारें ही पहले यह ऋण राज्य के किसानों को वितरित करेंगी और बाद में यह ऋण राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को चार प्रतिशत ब्याज सहित लौटाया जायेगा। अतः इस योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिलें ऋण के रूप में जो सुविधा प्राप्त करेंगी तो उसके लिए भी राज्य सरकार ही उत्तरदायी बन जायेगी जोकि सर्वथा उचित नहीं है। यदि राज्य सुझावित मूल्य निर्धारण न करने की शर्त लागू कर दी गई तो इससे हरियाणा राज्य के गन्ना उत्पादकों को काफी वित्तीय हानि का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस संबंध में भारत सरकार की ओर से उस पैकेज को क्रियान्वित करने के बारे में राज्य सरकार को सरकारी तौर पर कोई लिखित दिशा निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यह जो पैकेज जिसकी चर्चाएं चल रही हैं, जो अखबारों में छपी है उसके आधार पर यह लाभ प्राइवेट चीनी मिलों को मिलने जा रहा है और उसके साथ जो शर्त लगाई जा रही है उस शर्त के तहत हम आईदा के लिए किसान को लाभान्वित करने के लिए अपनी तरफ से भी कोई और ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे। मैं सदन के इन सदस्यों से पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो ये किसानों के हित की बात करते हैं, उनको बरगलाने का प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ उनके हितों पर कुठाराघात करने के लिए ये इस बात के पक्षधर हैं। क्या आप चाहेंगे कि हम हरियाणा के किसानों को लाभान्वित मूल्य न दे सकें? मैंने इंटर स्टेट काउंसिल की अभी 27, 28 तारीख को जम्मू कश्मीर में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा था कि इस पैकेज का स्पष्टीकरण करें। मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि आपने पैकेज की घोषणा की, उस पैकेज के माध्यम से 84 करोड़ से ज्यादा पैसा हरियाणा को मिलने की घोषणा है, हमें खुशी हुई लेकिन हमें पता लगा है कि यह पैकेज तो आप हमें लोन दे रहे हैं और 4 प्रतिशत ब्याज के साथ केन्द्र सरकार वापिस ले रही है। (शोर एवं व्यवधान) इस कालिंग अटैंशन से पहले पूरे कांग्रेस के लोग यह प्रमाणित करें और यह बताएं कि आप

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

प्राइवेट मिलों को यह पैसा देने जा रहे हैं या किसानों को देने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब आप बैठें, हुड्डा साहब की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप तो इसके लिए तैयार हो रहे हो। आप तो कालिंग अटैंशन मोशन ला रहे हैं। यह तो हरियाणा सरकार है जिसने साफ कह दिया कि हम इस पैकेज को मंजूर नहीं करेंगे। आप तो तैयार बैठे हो, आपको ज्ञान नहीं है, आप तो धरने देते हो, प्रदर्शन करते हो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस विषय से जुड़ी हुई बात नहीं है क्योंकि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में जहां गन्ने की बात कही थी वहीं आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणाएं की गई थी कि सूखाग्रस्त किसानों को नया पैकेज देंगे। जब वह पैकेज सामने आया तो उस पैकेज में यह दर्शाया गया कि सूखा पीड़ित किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा, हमें इस पर खुशी हुई थी लेकिन अगले दिन प्रान्तीय सरकार को केन्द्र की सरकार की तरफ से लैटर आया कि ब्याज का पैसा प्रान्तीय सरकार वहन करेगी। बल्ले-बल्ले उनकी होगी और कपड़े हमारे फाड़ेंगे। इस सदन में ऐसे लोग भी बैठे हैं कि माल किसी का, कमाल किसी का। (शोर एवं व्यवधान) इंटर स्टेट काउंसिल में मैंने इस मुद्दे को उजागर किया और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप इसको क्लीयर करें, आपके पैकेज की घोषणा बहुत अच्छी है, आपके निर्णय बहुत अच्छे हैं, हम आपको पसंद करते हैं लेकिन आपके दफ्तर में शायद कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इसको इम्पलीमैंट करने में बाधक हैं। प्रधान मंत्री जी ने मुझे इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में आश्वास्त किया था कि हम इसको देखेंगे और किसान को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की अचीवमैंट है कि as a result of efficient, close monitoring, intensive efforts made by the Government and sugar-mills, the working results of the Co-operative Sugar-mills, have improved tremendously during the last 4 years यह मान लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों ने शेयर होल्डर बनकर कोपरेटिव मिल्ज में पैसा लगाया था और शेयर खरीदे थे। किसानों के गन्ने पर प्रति क्विंटल 50 पैसे कटते हैं। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि किसानों का जो पैसा कटा है उसमें से क्या उनको पैसा वापिस दिया गया है ? यदि दिया गया है तो कितना पैसा दिया गया है और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया जबकि वह किसानों का अपना पैसा है तथा सरकार की कोपरेटिव मिल्ज भी ठीक चल रही हैं।

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि 110 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं है जबकि हरियाणा सरकार ने यह भाव यहां के किसानों को दिया है फिर इसमें 50 पैसे की बात कहां से आ गई ? स्पीकर सर, एक-एक रुपये गन्ने का भाव तो चौधरी भजन लाल जी ने 1990-91 में बढ़ाया था और किसानों के साथ मजाक किया था। आज के दिन भी जहां कहीं कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर किसानों को 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भाव नहीं दिया जा

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

रहा और ये यहां किसानों के पैसे की बात करते हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहां 129 करोड़ रुपये सरकार ने किसानों को देना है। वहां की सरकार की 13वीं मनाने के लिए पंजाब के किसान मटका चौक पर तीन दिन से बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुनाफे की बात है इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कोपरेटिव शूगर मिल एक प्रकार से ओटोनोमस बोडी है और किसानों का उसमें शेयर है। सरकार जो 110 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव किसानों को दिला रही है उसके लिए सरकार कोपरेटिव शूगर मिलों को कर्जा दे रही है और वह पैसा शूगर मिलों को ही अदा करना पड़ेगा। जो भी मुनाफा शूगर मिलों का होता है वह उनमें बंटता है। शाहबाद शूगर मिल का मुनाफा बंटा है। अध्यक्ष महोदय, शेर सिंह जी ने 50 पैसे बारे जो कहा है वह इन्होंने ठीक ही कहा है। क्योंकि ये 50 पैसे इनको उस समय के याद रहे जब चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे और उस समय गन्ने का भाव 50 पैसे या एक रुपये बढ़ाया जाता था। यदि किसान विरोध करते थे तो उन पर ठण्डे पानी के फव्वारे चलाये जाते थे और उन पर घोड़े दौड़ाये जाते थे। अध्यक्ष महोदय, गन्ने का भाव ही नहीं बल्कि ये गेहूं और दूसरे फसलों के भाव भी इसी तरह एक रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाते थे तथा किसानों का अपमान करते थे। लेकिन आज ये किसानों की बात करते हैं। चौधरी भजन लाल जी के समय में गेहूँ का भाव एक रुपये बढ़ाया गया था और आज हमारी सरकार ने गेहूँ का भाव 90 से 95 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। (विघ्न)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * *।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही। आपने कुछ भी लिखकर नहीं दिया। प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ऐसी को-आप्रेटिव शूगर मिले हैं जिनमें जमीदारों के शेयर्ज हैं। जहां हम चाहते हैं कि जमीदार को ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले वहीं हम यह भी चाहेंगे कि जमीदारों से चली हुई कोआप्रेटिव शूगर मिलें भी चलती रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी को-आप्रेटिव शूगर मिले हैं जिनके सबसे ज्यादा ऐरियरज़ बकाया हैं और उनके पास शूगर का स्टॉक है या नहीं है यह पेमैंट कैसे करनी है, लोन ले कर कर रहे हैं या कोई सबसिडी आई है। यह 84.76 करोड़ रुपया जो आया था चिन्ता का विषय बन गया है कि जमींदारों को अपने गन्ने की कीमत दे रहे हैं, वह लोन लेकर देंगे इसीलिए हमने यह ऐडजॉर्नमैंट मोशन दिया था। मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि किसान का हित सर्वोपरि है इसलिए वह पैकेज नहीं लिया। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि पैकेज न लेने के बाद जो पेमैंट दी गई है, जो सरकार दे रही है वह लोन है या सिर्फ बकाया ऐरियर्ज विद इन्ट्रस्ट लिक्विडेट करना है। किसान को ठीक मूल्य मिले और मिल्ज़ भी चलती रहे यही हमारी इच्छा है क्योंकि मिलों में भी किसानों का शेयर है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : को-आप्रेटिव शूगर मिलें चलेंगी ओर चल रही हैं और हर को-आप्रेटिव शूगर मिल के पास चीनी का स्टॉक है और उस स्टाक को को-आप्रेटिव शूगर मिलें अपने हिसाब से बेचती जा रही हैं जितना पैसा उनका अपना है वह भी है और उसके अलावा को-आप्रेटिव

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

शूगर मिलें दूसरे अदायरों से भी कर्ज ले रही हैं। कर्ज लेकर के किसानों को पैसा दे रही हैं। यह कर्जा को-आप्रेटिव शूगर मिलें ही अदा करेंगी, इसमें सरकार का कुछ रोल नहीं होता। सरकार तो मदद के तौर पर उनकी सहायता करती है। आपको भी सरकार की तरफ से लोन मिलता है। सरकारी कर्मचारियों को भी मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की मूलभूत जरूरीयात पूरी हो सकें।

श्री मांगे राम गुप्ता : आन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बैठिये। जय प्रकाश जी को अपनी बात कह लेने दें।

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर सर, कृषि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें गन्ने की अगेती किस्म का 110 रुपये, मध्यम किस्म का 106 रुपये और पछेती किस्म का 104 रुपये है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पिछले चार सालों में अगेती किस्म की कितनी फसल, मध्यम किस्म की कितनी फसल और पछेती किस्म की कितनी फसल प्रोक्योर हुई हैं। यहां पर एक बात बार-बार आ रही है कि हमारे हरियाणा में किसानों को गन्ने का का भाव सबसे ज्यादा दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 1996 से 2000 तक कितने दाम बढ़े और इस सरकार के आने के बाद पिछले चार वर्षों में गन्ने के कितने दाम बढ़े हैं ? हम किसानों के हित के लिए ही काल अटैंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन लाए थे क्योंकि 7-9-2003 तक किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही थी। जब हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो सरकार यह मान लेती है कि हमें ज्ञान नहीं है। अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो किसानों की बात हम क्यों उठाते ? सरकार किसान से ब्याज 14 परसैंट लेती है। यदि किसान बिजली का बिल नहीं दे तो उस पर भी उनसे 14 परसैंट ब्याज लिया जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार यह बताए कि यहां पर किसानों को गन्ने का ज्यादा पैसा दूसरी स्टेटों की निस्बत कैसे दिया जा रहा है ? चुनाव से पहले मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि किसानों को गन्ने का भाव सबसे ज्यादा करूंगा और दो रुपये सैकड़े पर किसानों को कर्ज देंगे। मैं एक सुझाव दूंगा कि भाव भी किसानों को ज्यादा दिया जाना चाहिए और उनको कर्ज भी दो रुपये सैकड़े के हिसाब से दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह सभी को पता है कि अबकी बार किसानों की गन्ने की फसल दूसरे प्रदेशों में लूटी गई है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टरज की कांफ्रेंस में केन्द्र सरकार से हमारे सी०एम० साहब ने सूखे के नाम से ज्यादा पैसा मांगा तो कहा गया कि जो वित्तीय मदद मिली है वह सूखाग्रस्त के लिए मिली है। इसमें अगर केन्द्र सरकार ने किसानों को गन्ने का ठीक भाव नहीं दिया तो यह केन्द्र सरकार ने हरियाणा के किसानों के साथ छल का काम किया है इसलिए आपको केन्द्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, हम इस मामले में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और हम सब किसानों के साथ हैं। मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या इस बात पर यह सरकार केन्द्र सरकार से अपना समर्थन वापिस लेगी ? (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : थारा साथ चौधरी बंसी लाल ने लिया था और अब वे दिखाई नहीं दे रहे हैं, परमात्मा बचाए थारे से, तुम तो दूर ही चौखे हो। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी और चौधरी भजन लाल जी की जानकारी के लिए मैं यहां पर हाउस में कुछ आंकड़े बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने के बाद पिछले साल में कितने भाव बढ़े हैं

वह भी मैं बताता हूँ। मैं 1972 से आंकड़े पेश करूँगा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के चौधरी बंसी लाल जी थे। (विघ्न) भजन लाल जी, मैं आपके वक्त के और 1997-98 के आंकड़े भी बताऊंगा। 1972 में साढ़े आठ से बढ़ कर 11 रुपये का भाव हुआ था। 1972-73 में 12 से साढ़ें बारह रुपये का भाव हुआ था यानि केवल 50 पैसे का भाव बढ़ा था। (विघ्न) क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी? (विघ्न) 1991 के आंकड़े भी मैं बताऊंगा। (विघ्न) चौधरी साहब, आपने अपनी सरकार के समय में एक रुपया भाव बढ़ाया था। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : कांग्रेस की सरकार में जब चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तो भाव घटाया भी गया था। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ******* ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए। (विघ्न) आप सभी लोग शान्ति बनाए रखें। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी की कोई भी बात रिकॉर्ड न करें। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : मैं माननीय चौधरी भजन लाल जी के वक्त से भाव भी बता रहा हूँ। सन 1991-92 में जो अगेती किस्म का भाव था वह 49/- रुपये था मध्यम किस्म का भाव 47/- रुपये और पिछेती किस्म का भाव था 45/- रुपये। 1992-93 में इन्होंने 49/- रुपये का किया था 50/- रुपये यानि एक रुपया बढ़ाया, यह रिकॉर्ड की बात है (विघ्न) 1983-84 में एक रुपया बढ़ा, 1984-85 में एक रुपया बढ़ा, 1985-86 में सिर्फ 3/-रुपये बढ़े यानि 24/-रुपये से 27/-रुपये हुआ। 1987-88 में 27/-रुपये से 28/-रुपये किया यानि एक रुपया बढ़ाया। 1987-88 में 28/-रुपये से 32/-रुपये किया यानि चार रुपये बढ़ाया। हमारी सरकार ने 1999-2000 आने के बाद जो भाव दिया है वह भी बताता हूँ। हमारी सरकार ने 110/-रुपये का भाव दिया जो कि पूरे हिन्दुस्तान में सर्वोत्तम है। (विघ्न) हमने एक बार में ही 15/-रुपये का भाव बढ़ाया। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी को यह पता ही नहीं कि 1998 में मुख्यमंत्री कौन था। (विघ्न) 1998 में तो चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे, इनको तो श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी जी के मरने के समय का भी ज्ञान नहीं था। पिछले सैशन में इन्होंने सदन में गलत समय बताया था। चौधरी भजन लाल जी, 1998 में आप मुख्यमंत्री नहीं थे चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे, आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें। (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : 1980-81 में 23/- रुपये का भाव था जो 1981-82 में 22/- रुपये हुआ था यानि एक रुपया घटाया था।

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि गन्ना उत्पादकों की जो बकाया राशि है वह अभी तक दी जानी है। साथ ही वहां पर क्रेन के ऊपर जो गन्ना तोला जाता है, शूगर मिलों की रिकवरी बढ़ाने के लिए उसकी परसैंटेज को घटाया जाता है, यह मेरी जानकारी के अन्दर आई थी इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे। किसानों को वहां पर दोहरी मार दी जाती है, वहां जो गन्ना क्रेन में तोला जाता है सुनने में यहां तक बात आई है कि 10-10 परसैंट तक किसानों को घाटा होता है। वहां की मैनेजमैंट क्रेन के अन्दर कम तोल दिखाकर हेराफेरी करती है। दूसरे सरकार विधान सभा सत्र पास

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री जितेन्द्र सिंह मलिक]

आने पर किसानों की बकाया राशि देने में बहुत तेजी दिखाती है। अगर वैसे ही सरकार हमेशा ही गन्ना उत्पादक किसानों की अमाउन्ट तुरन्त देने में उतावलापन दिखाए ताकि किसान अपने अमाउन्ट को आने वाली फसल में और अपने घरेलू कार्यक्रमों में इस्तेमाल कर सके।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है और उनके ध्यान में ऐसी बात आई है कि गन्ने के तोल में कुछ फर्क किया जाता है तो मैं इनसे यह कहना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। (विघ्न) स्पीकर सर, सभी शूगर मिलों में कम्प्यूटराईजड कंडे लगे हुए हैं, फिर भी हमने इस बात का प्रावधान किया हुआ है कि अगर कोई किसान कहे कि मेरे गन्ने का तोल कम है ठीक नहीं है तो वह बाहर से दोबारा अपनी ट्राली को तुलवा सकता है। स्पीकर सर, मगर इस किस्म की किसी भी किसान की कोई शिकायत हमारे पास नहीं पहुंची है। इनकी यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। (विघ्न) **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री धर्मबीर सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें कहना चाहूंगा क्योंकि आज प्रदेश का किसान जो खास करके गन्ना बोता है उसको काफी समय से पेमेन्ट नहीं हुई है। जिसकी वजह से वे अपना घर-परिवार नहीं चला पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई साधन उन किसानों के पास नहीं है। चुनाव से पहले इस सरकार के आने से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहा था कि मैं ब्याज समेत किसानों के गन्ने की राशि दूंगा। मैं इनसे यह कहना चाहूँगा कि ब्याज समेत तो क्या उनको उनकी राशि भी नहीं मिली है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि हम इस महीने के आखिर में किसानों का पैसा दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी किसान शूगर मिलों के सामने धरने पर बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप बैठें।

श्री धर्मबीर सिंह : सर, मैं एक मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। आप धक्का न चलाओ।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धक्का कहां कर रहा हूँ?

श्री उपाध्यक्ष : धर्मबीर जी, पांच को अलाउ होता है और वे बोल चुके हैं लेकिन मैंने फिर भी आपको बोलने का मौका दिया है। (विघ्न) ठीक है आप एक मिनट में अपनी बात खत्म करो।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गन्ना उत्पादकों के नजदीक गन्ना मिलें लगाई हैं, कृपया करके ********* ।

श्री उपाध्यक्ष : धर्मबीर जी ने जो यूनिवर्सिटी वाली बात कही है वह रिकॉर्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वाक-आउट

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं ऐज-ए प्रोटैस्ट वाक-आउट करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं ऐज-ए प्रोटैस्ट वाक-आउट करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री धर्मबीर सिंह और श्री जय प्रकाश बरवाला सदन से वाक-आउट कर गए।)

वक्तव्य—

कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी यह कोई आपका तरीका नहीं है बात करने का। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, इनको समझाएं, इनका यह क्या तरीका है। भजन लाल जी आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। यह क्या तरीका है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आपकी समझ में फिर यह बात नहीं आ रही है। एस०ए०पी० केन्द्र सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य जो हैं वह 69.50 पैसा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी आप अपनी सीट पर बैठें। आप इस तरह से बीच में न बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, 69.50 पैसा एस०ए०पी० केन्द्र सरकार की तरफ से है। हरियाणा प्रदेश की सरकार उसी किसान को 110 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रही है। आप इस अन्तर को समझकर ही यहां पर बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : यह रेट भी 1996 में मैंने ही दिए थे।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आपका यह कोई तरीका है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : आपका क्या तरीका है इस हाउस को चलाने का। आप मुझे मेरी बात कहने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह कोई तरीका नहीं है। आप जब मर्जी आए बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप परमिशन लेकर बोलने के लिए उठा करें। आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) I am on foot आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : हाउस में बोलने का हमारा अधिकार है। हम अपनी बात हाउस में बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) मेरी परमिशन के बगैर जो भी बोला जाए वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : **********।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके रहमोकर्म पर नहीं हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आपका यह कोई तरीका नहीं है। आप जब मर्जी आए बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

चौधरी भजन लाल : **********।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले चेयर से इजाजत लें, फिर बोलें। (शोर एवं व्यवधान) बैठिए-बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी, आप इजाजत लेकर हाउस में बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल : **********।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना इजाजत के जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और न होगा। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। कृष्ण पाल जी आप बोलिए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अभी माननीय धर्मबीर सिंह ने कहा कि एन०डी०ए० की सरकार किसान विरोधी है। मैं धर्मबीर सिंह को बताना चाहूँगा कि किसान विरोधी एन०डी०ए० की सरकार नहीं है बल्कि किसान विरोधी कांग्रेस पार्टी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का इतिहास कहता है और भजनलाल जी, आपका भी इतिहास यही बताता है कि जब किसान बिजली मांगता था, पानी मांगता था तो भजनलाल जी बदले में उनको गोलियां देते थे। (शेम-शेम) उपाध्यक्ष महोदय, यह एन०डी०ए० की सरकार ही है जिसने गेंहू के रेट एकमुश्त 90 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। कांग्रेस की सरकार इस देश में 45 सालों तक रही भजनलाल जी, बता दें कि इन्होंने कितने दाम बढ़ाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप यह भी बता दें कि डीजल का भाव, खाद का भाव कितना बढ़ाया है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है इसलिए आप मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिए कि ये मेरी बात सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, यह अटल जी के नेतृत्व में एन०डी०ए० की ही सरकार है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना जैसी स्कीम्ज इस देश के किसानों को दी हैं। पहले जहां किसान कर्जे पर 18 फीसदी या 14 फीसदी ब्याज देता था वहीं एन०डी०ए० की सरकार ने उसको साढ़े नौ प्रतिशत पर कर दिया है। अगर कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया हो तो बता दें इसलिए कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी रही है। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव —

हरियाणा में एड्स के फैलने संबंधी

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion from Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. regarding HIV/AIDS disease, which is spreading throughout the world very speedily. I admit it. Shri Malik Chand Gambhir, M.L.A. has also given a Calling Attention Notice on the similar subject. He can raise supplementary. Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. may read his notice.

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर बोला है इसलिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार गन्ने का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल छोड़कर गयी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। धर्मबीर जी, आप भी बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) अब राजेन्द्र सिंह बिसला अपना नोटिस पढ़ें।

Shri Rajinder Singh Bisla : I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that disease of HIV/AIDS which is very dangerous disease which can not be cured easily. This disease is spreading throughout the world very speedily near about 40 millions people are affected by HIV/AIDS. In the 1990 there were few cases of HIV but in the year 2001 this has increased up to 3.8 million in India.

In the year 1989 the first case of HIV was observed in Rohtak District in Village Bohar. But according to the reports of PGI Rohtak this has increased up to 279 cases amongst which 19 people were died. Now the approximate number of HIV affected people are about 40,000 which comes out 2000 cases per district in Haryana State.

I request the Government to make a statement regarding the awareness programmes to stop the spread of diseases on the floor of the House.

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एच०आई०वी० और एड्स की भयंकर बीमारी है यह कैसे फैलती है इस बारे में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

How is HIV/AIDS transmitted?

1. Unprotected sexual intercourse with infected person.
2. Transmission through infected blood and blood products.
   (i) Blood/blood products transfusion.
   (ii) Sharing of infected needles and syringes.
3. Transmission from infected mother to new born.

यह जो एच०आई०वी० और एड्स की भयंकर चुनौती है इसको राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर बहुत ही गंभीरता के साथ लिया गया है और इस विषय की गंभीरता को, चुनौती को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 26 और 27 जुलाई, 2003 को National Convention of Elected

[श्री राजिन्द्र सिंह बिसला]

Representative on HIV/AIDS, Vigyan Bhawan सेमीनार का आयोजन हुआ था। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपाध्यक्ष महोदय आप भी हमारे साथ उपस्थित थे। देश के प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था और केन्द्र की स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें पार्टिसिपेंट थीं। यह सम्मेलन राजनीति से ऊपर उठकर था। इसमें प्राय: देश के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनके चुने हुए प्रतिनिधि सारे देश के मैंबर ऑफ पार्लियामैंट, हर स्टेट के एम०एल०ए० और दूसरे चुने हुए सभी प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके साथ एक और दो अगस्त को International Conference of South Asian Parliamentarians Advocacy Role of Elected Representatives in Prevention of HIV/AIDS हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी साउथ एशियन कंट्रीज के कम से कम 30 देशों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। हमारी स्टेट की तरफ से फाइनैंस मिनिस्टर चौधरी संपत सिंह जी और मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एड्स और एच०आई०वी० पर वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के बड़े लर्निड लोगों की तरफ से बड़े ही इम्पौरटैंट थीसिस के पेपर वगैरह रखे गए। इस प्रकार से जो विषय की गंभीरता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल एड्स कंट्रोल आरगेनाईजेशन (नाको) है उसी के पैटर्न पर हमारे प्रदेश में भी हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसायटी का गठन किया गया है। (विघ्न) आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि इस सोसायटी के माध्यम से सरकार को एड्स के बारे में एक जागरुकता अभियान चलाना चाहिये। मेरा आग्रह है कि सरकार को हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पर जागरुकता सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिये और हर जिले में मैम्बर पंचायत, सरपंचिज, पंचायत समिति के इलैक्टिड प्रतिनिधि, चेयरमैन जिला परिषद्, नगर निगम और म्यूनिस्पिल कमेटी के चुने हुए प्रतिनिधि ये सभी सदस्य जिले के एक स्थान पर इकट्ठे हों और हमारे माननीय मंत्री, एम०एल०एज० साहेबान सभी सदस्यगण इसमें पार्टीस्पेट करें। इसमें मूवी और प्रैस के माध्यम से बड़ी भारी जागरुकता अवेयरनैस लाने की जरूरत है। आज हरियाणा प्रदेश के दिल्ली से नजदीक लगते जिलों में यह रोग तेज गति से फैल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस रोग की गम्भीरता और चुनौती को समझते हुए सरकार को एड्स कंट्रोल के बारे में तत्काल उचित कदम उठाने चाहियें।

वक्तव्य—

स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक सामाजिक ज्वलंत मुद्दे को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन में चर्चा के लिए एडमिट किया। मैं आभारी हूँ श्री राजेन्द्र सिंह बिसला जी का और डॉ० मलिक चन्द गम्भीर जी का जो इस प्रस्ताव को लेकर के आये जिससे आज पूरा राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रभावित हैं। 1981 में यू०एस०ए० में एड्स का केस नोटिस में आया और उसके बाद इस रोग के बारे में जागरुकता अभियान चलाया गया। हिन्दुस्तान में 1984 में और हरियाणा में 1989 में एड्स का केस नोटिस में आने के बाद लगातार यह चिन्ता का विषय बना रहा और हरियाणा में एड्स कंट्रोल सोसायटी का गठन भारत सरकार के पैटर्न पर किया गया और उसके गठन के बाद हमारे यहां लगातार हॉस्पिटल्ज में वोलैंटियर सैंटर में इस रोग को टैस्ट करने की सुविधा प्रदान की गई। जैसा कि आदरणीय बिसला जी ने आंकड़े बताये कि हमारी टैस्ट रिपोर्टों के आधार पर

40 हजार पोजीटिव एच०आई०वी० के केसिज पाये गये जिनमें से 279 केसिज संक्रामक पाये गये जिनसे अब तक 19 रोगियों की डैथ हो चुकी है। हमारे एड्स नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से एक जागरुकता अभियान चलाया गया है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे जागरुकता के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को और आने वाले समाज को हम कैसे जागरूक करें सरकार ने इस विषय में विभिन्न कदम उठाये हैं। मैं आपके माध्यम से एक-एक करके इस सदन को अवगत कराना चाहूँगा। इस विषय में यदि सम्मानित सदस्यों के अगर कोई सुझाव आयेंगे जो उन सुझावों पर हम अमल करने का कार्य करेंगे। जैसा कि बताया गया कि एड्स जागरुकता का कार्य सरकार कर रही है। जब तक जन-जागरण अभियान के रूप में इसको लिया नहीं जायेगा तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। पिछले साल पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों, चेयरमैन ब्लॉक समिति, चेयरमैन जिला परिषद् , चेयरमैन नगर परिषद्, इन लोगों की एक मीटिंग पंचकूला में की गई। उस मीटिंग में एक पुस्तिका का विमोचन किया गया था जो कि आप लोगों तक पहुँच चुकी है। मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि एड्स के बारे में जो गलत भ्रांतियां हैं उन गलत भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए। असलियत में एड्स कैसे फैलता है इस बात को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाये। एड्स निम्न कारणों से फैलता है पहला असुरक्षित यौन सम्बन्ध के माध्यम से दूसरा जो ब्लड चढ़ाया जाता है वह कई बार बिना जांच के ही चढ़ा दिया जाता है, उस ब्लड के माध्यम से या इंजैक्शन के माध्यम से और तीसरा माता के पेट में पल रहे शिशु को माता के माध्यम से यह फैलता है। लेकिन कई बार यह भ्रांति आ जाती है कि एड्स के मरीज के साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ बैठने से, सोने से या उसका झूठा खाने या पानी पीने से यह बीमारी फैलती है। इस भ्रांति को हमने समाज से दूर किया है और दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पंच, सरपंच या प्रतिनिधि लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करके सरकार जो कुछ कर रही है, उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जो हमने पुस्तिका बनाई है उसे हम पंचायतों में भेजते हैं, पंचायत घरों में रखवाते हैं। उस पुस्तिका के अध्ययन के माध्यम से, रेडियो प्रसारण के माध्यम से, समाचार-पत्रों के माध्यम से हम बार-बार निवेदन करते हैं कि एड्स की जांच हरियाणा में कहां हो सकती है, यह बीमारी कैसी है और कैसे फैलती है और इसकी क्या-क्या भ्रांतियां है। इसी प्रकार हमने एड्स दिवस पर टी०वी० प्रसारण द्वारा विशेष प्रोग्राम दिया। हमने टी०वी० के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, बड़े-बड़े चार्ट बनाकर और उन चार्टों को सामान्य स्थलों जैसे बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशनों पर लगाकर हमने आम लोगों को यह जानकारी देने की कोशिश की है कि एड्स क्या है, इसकी भ्रांतियां क्या है, और इसका निदान क्या है। हमने 13 जिलों में टैली कौंसलिंग सैंटर खोले हैं, वहां पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। हमें कई बार डॉक्टर्ज बताते हैं कि किसी एड्स के मरीज का हमें पता लगता है तो हम उसके घर जाते हैं तो वह अगले दिन अस्पताल में आकर हाथ जोड़ता है कि बराय मेहरबानी आप मेरे घर मत आना, मैं चुपके से वहीं आप से मिल लिया करूंगा। ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बीमारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते उनके लिए हमने हर जिले में अस्पताल में टेलीफोन रखा हुआ है और वहां डॉक्टर्ज उपलब्ध होता है, उस फोन से एड्स का मरीज गुप्त रूप से जानकारी ले सकता है, सलाह ले सकता है और इलाज भी करवा सकता है। इसके साथ-साथ हमने NGOs इंगेज किए हुए हैं जो लघु नाटिका के माध्यम से ट्रक ड्राईवर, जेल के कैदी, सैक्स वर्कर के पास जाकर कैसे कार्य करें और हमारे दूसरे जो माइग्रेट लेबर हैं उनमें जाकर वे कैसे काम करें इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। इसमें हमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। हमने यौन शिक्षा को अपनाया है। 1300 स्कूलों के अन्दर बुकलैट के माध्यम से यौन शिक्षा की

[डॉ० एम०एल० रंगा]

जानकारी दी है। इस जानकारी के तहत जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको उचित जानकारी मिल सकेगी। स्कूलों और कॉलेजों में एन०एस०एस० के विद्यार्थियों को यह जानकारी प्रदान की गई है। हमने सैमीनार करवाए हैं, कवि सम्मेलन करवाए हैं। आगे आने वाले समय में क्योंकि जो पैसा आता है उस पैसे को खर्च तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका हमें लाभ नहीं हो रहा है। हमने रैड क्रास के माध्यम से नई योजना बनाई है, हर जिले में रैड क्रॉस के माध्यम से इसको प्रसारित किया जाए, इसकी रोकथाम के लिए, इसके प्रति जागरुकता के उपाय किए गए हैं। हमने यहां तक भी किया है कि ढाबों के ऊपर जहां ट्रक ड्राईवर भोजन करते हैं वहां कंडोम रखवाए हैं, ड्राइवर्ज के टूल बाक्स में हमने कंडोम रखना अनिवार्य किया है। हमने सार्वजनिक डिस्पैंसरीज में भी कंडोम रखवाने का काम किया है। जगह-जगह पर एड्स कैम्प लगवाए हैं जिनके माध्यम से एड्स के बारे में जानकारी दी जा सके। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, जन प्रतिनिधियों के सहयोग से आने वाले भविष्य में जैसे आदरणीय बिसला जी ने बताया कि अब हमारा यह प्रोग्राम है कि जिला स्तर पर जाकर हमारी जो नोडल एजैंसीज हैं उन एजैंसीज के साथ मिलकर हम एड्स के बारे में जन जागरण अभियान चलाएं ताकि पंचों, सरपंचों और नम्बरदारों तक को यह जानकारी जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। पीछे लैजिस्लेचर की दिल्ली के विज्ञान भवन में मीटिंग हुई थी उसमें पार्लियामैंट फोर्म बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि हरियाणा में लैजिस्लेटिव फोर्म का गठन किया जाए जहां पर संगोष्ठी करके अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि पंचों, सरपंचों और दूसरे लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी दी जा सके। उसके लिए जो मैटीरियल है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करायेंगे तथा हमारे अधिकारी साथ जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस विषय में हमारी विधान सभा के सदस्य ज्यादा से ज्यादा आगे आयें तथा फोर्म के मैंबर भी बनें और देहात में जाकर इस विषय में कार्यवाही करें। इस विषय में हमारे माननीय सदस्यों के जो भी अच्छे सुझाव आयेंगे वे सर्वमान्य कर दिए जायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है जिन्होंने एड्स की रोकथाम के बारे में इतने अच्छे कदम उठाये और उसके बारे पूरे सदन को अवगत कराया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में सोशल अवेयरनैस की बहुत जरूरत है क्योंकि हमारे यहां निरक्षर लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में हैं। अगर सरकार सर्वेक्षण कराये कि एच०आई०वी० और एड्स क्या है तो पता चलेगा कि 100 में से 90 को तो इस बारे में मालूम ही नहीं है कि ये बीमारियां किस कारण होती हैं और इनका परिणाम क्या निकलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन बीमारियों की जानकारी देने के लिए सम्मेलन होने चाहिएं। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये बीमारियां बार-बार एक ही नीडल और एक सीरिंज यूज करने से भी फैलती हैं। हमारे यहां जो नर्सिंग होम हैं, गांवों में जो आर०एम०पी० वगैरा हैं वे बचत की वजह से एक ही नीडल बार-बार अलग-अलग मरीजों को लगाते हैं। वे नीडल को गर्म पानी में नहीं उबालते हैं जिसके कारण ये बीमारियां फैल रही हैं इसलिए इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए तथा इस बारे में भी लेजिस्लेशन होना चाहिए और जो मैडीकल प्रैक्टिशनर इसकी अवहेलना करता है उसके खिलाफ कोगनीजेबल औफैंस होना चाहिए।

डॉ० एम०एल० रंगा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 100 केस एड्स के आये हैं। जिनका सर्वेक्षण करने से पता चला है कि 98 प्रतिशत लोगों को यह बीमारी असुरक्षित यौन सम्बन्ध की वजह

से हुई और केवल मात्र 2 प्रतिशत केस ऐसे हैं जिनको यह बीमारी ब्लड चढ़ाने से या सुई की वजह से हुई या किसी कारण से हुई हो। उपाध्यक्ष महोदय, असलियत को हमें स्वीकार करना चाहिए लेकिन हम असलियत को स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा हिन्दुस्तान सन्तों का, ब्रह्मचारियों का और महापुरुषों का देश रहा है जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार किया है तथा हमारा पूरा देश विश्व गुरु रहा है। लेकिन पाश्चात्य से यह बीमारी किसी तरह से हमारे यहां आ गई है और इस बीमारी की रोकथाम का सबसे पहला कदम यह है कि जो परधारागमन हमारी संस्कृति के खिलाफ है उसको न अपनाने का संकल्प हमें पंचायतों में पंचों के माध्यम से लेना चाहिए। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सीरिंज की बात है इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने सभी हस्पतालों में, पी०एच०सीज० में और सी०एच०सीज० में निर्देश दे रखे हैं कि डिस्पोजेबल सीरिंज का इस्तेमाल करें तथा सभी जगह अधिक से अधिक मात्रा में नई सीरिंजें भी भिजवाई हैं। हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा सीरिंज यूज न की जाये। हमने कई बार यह भी गिनती करवाई है कि जितने इन्जैक्शन लगे हैं उतनी सीरिंज हमें मिली भी हैं या नहीं। हमारी नगरपालिकाओं में हमारे आदरणीय नगरपालिका निकाय मंत्री जी ने कबाड़ उठवाकर गड्ढे खोदकर डिस्पोज ऑफ करवाया है और इम्सूलेटर के माध्यम से यूज सीरिंजेज को समाप्त भी करवाया है ताकि दोबारा से यूज सीरिंज का इस्तेमाल न हो। ब्लड भी बगैर जांच के नहीं चढ़ा सकते लेकिन इस बारे भी हमने अपने सभी हस्पतालों में, पी०एच०सीज० में और सी०एच०सीज० में निर्देश दिए हैं कि ब्लड की जांच करके ही ब्लड चढ़ाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अब ब्लड के माध्यम से और सूई के माध्यम से एड्स की बीमारी किसी को नहीं होगी। यह बीमारी असुरक्षित यौन सम्बन्ध से हो रही है इस बारे सामाजिक अवेयरनैस और सामाजिक संकल्प की आवश्यकता है।

डॉ० मलिक चंद गंभीर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाई राजेन्द्र सिंह बिसला जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से एड्स के बारे में सारी बातें बताई और खासतौर से हरियाणा सरकार का भी आभार प्रकट करूंगा कि हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी डिटेल से इस बारे में उत्तर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एड्स जैसी बीमारी आज हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी भारी आपत्ति है इसलिए इसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। इस बीमारी की जानकारी के लिए यहां काफी कुछ बताया गया है लेकिन अभी भी आम जनता में इसका प्रचार करने की आवश्यकता है। इस बारे मैं कहना चाहूँगा कि खासतौर से इसकी चर्चा प्राईवेट प्रैक्टिशनरों में करनी चाहिए और उनको इसमें ज्यादा सम्मिलित किया जाये। क्योंकि सरकारी डॉक्टर तो प्रचार करते ही हैं परन्तु प्राईवेट प्रैक्टिशनरों के माध्यम से इस बारे में आम लोगों में अधिक प्रचार किया जा सकता है। इससे हमारे प्रदेश को ज्यादा फायदा होगा। जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि इस बारे में पार्लियामैंट में एम०पीज० की एक कमेटी बनाई जाये और उसमें उन सदस्यों को मैम्बर बनाया जाये जो इसमें इन्ट्रस्ट लें और जो मैडीकल कंसर्न हों क्योंकि यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है। ऐसा करने से ही हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। यह एक ऐसी लाईलाज बीमारी है जिसके बारे में कई दफा मीडिया ने भी जिक्र किया है और रेडियो तथा टैलीविजन में भी इस बीमारी के बारे कई दफा जिक्र आ चुका है। लेकिन फिर भी इस बीमारी के बारे में लोगों में अभी अवेयरनैस की कमी है। इसलिए इसका अभी और अधिक प्रचार किया जाये यह मेरी मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना है।

डॉ० एम०एल० रंगा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव आदरणीय डॉक्टर गंभीर ने दिए उन सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा भी मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि कल के एक सवाल पर जो लिंग अनुपात से संबंधित था उसका भी इससे थानी एड्स से संबंध है। यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है क्योंकि असलियत यह है कि जब लड़कियां कम हैं और खासतौर पर हमारे हरियाणा और पंजाब में लड़कों की शादियां नहीं हो पाती तो फिर वे लोग बाहर से यानि बिहार से या बंगाल से लड़कियों को ले करके आते हैं जबकि उनके विषय में हमें जानकारी नहीं होती। कई बार ऐसी सैक्स वर्कर हमारे अपने घर बैठ जाती हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। यहां हमारे प्रान्त में वे एड्स की बीमारी को साथ ले करके आ जाती हैं। इस संबंध में पिछली बार पंजाब में एक सेमीनार था तो वहां पंजाब में खासतौर पर जो वहां पर सरदार थे उनमें बैठ करके मैंने एक निवेदन किया कि आप गुरुबाणी को बढ़ावा देते हैं, गुरुग्रंथ साहब को बढ़ावा देते हैं और चाहते हैं कि घर का हर सदस्य गुरुग्रंथ साहब को पढ़े लेकिन आपके यहां पर जब 20 प्रतिशत लड़के कुंवारे रह जाएंगे तो फिर वे बंगाल की लड़कियों को ले करके आ जाएंगे जो हिन्दी नहीं जानती, अंग्रेजी नहीं जानती तो फिर आपके गुरुग्रंथ साहब का सम्मान कैसे होगा और आपके घर में कैसे गुरुग्रंथ साहब की इज्जत की जाएगी, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह अपनी संस्कृति में भी बढ़ावा मिल रहा है यही कारण है कि हमारे हरियाणा में भी जिनकी शादियां नहीं हो पा रही वे बिहार से या बंगाल से या मध्य प्रदेश से इस प्रकार की लड़कियों को ले आते हैं और कई बार वे एड्स से ग्रस्त होती हैं जिससे एड्स को बढ़ावा मिल जाता है। इस विषय में भी लोगों को सचेत करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, कल का जो प्रश्न था लिंग अनुपात का था वह भी इस एड्स से संबंध रखता है इसलिए सभी को इस समस्या के साथ-साथ उस पहलू पर भी विचार करना चाहिए, फिर निश्चित रूप से एड्स में भी कमी आएगी। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सभी सदस्यों को इस विषय पर हमारा सहयोग देना चाहिए ताकि इस बुराई को दूर करने में हम कामयाब हो सकें। (शोर एवं व्यवधान)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the proceedings on the items of business fixed today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That the proceedings on the items of business fixed today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That the proceedings on the items of business fixed today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried. **(interruptions)**

12.00 बजे

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग कॉलिंग अटैंशन मोशन पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कॉलिंग अटैंशन मोशन पर बोलने का अब वक्त नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अब आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर सर, ********** ******

चौधरी भजन लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, ********** ******

श्री उपाध्यक्ष : चेयर की परमिशन के बगैर जो भी बोला जा रहा है वह रिकॉर्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

आवाजें : हमें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम प्रोटैस्ट के तौर पर सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से बहिर्गमन कर गए)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the table—

The 30th Annual Report of Haryana Tanneries Limited, Jind for the year 2001-2002, as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report of Haryana Labour Welfare Board for the year 2000-2001, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the years 1990-91 to 1999-2000, as required under Section 26 (4) of Haryana Urban Development Authority Act, 1977.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Gramodyog Board for the year 1999-2000, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Gramodyog Board for the year 2000-2001, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

विधान कार्य—

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2003,

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion Moved—

> That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister : (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.4) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clasuc 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2003 and will move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह प्रस्ताव करता हूँ —

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 10

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affaris Minister will

introduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Local Area Develolpment Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Local Area Develolpment Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Local Area Develolpment Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) पंजाब एन्टरटेनमैंटस ड्यूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 and 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करता हूँ—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2003.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करता हूँ—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि—

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

ग्राम एवं आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरीफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एवं आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2003 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister to move that the Bill be passed.

ग्राम एवं आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ix) दि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सैक्योरिटी फोर्स बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana State Industrial Security Force Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana State Industrial Security Force Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana State Industrial Security Force Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana State Industrial Security Force Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana State Industrial Security Force Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Sub-Clause 3 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 20

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clauses 2 to 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(x) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 2003

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रो० रामभगत (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक ओब्जर्वेशन है। सरकार ने जो कार एडवांस 4 लाख से 6 लाख बढ़ाने का प्रोवीजन रखा है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का तहेदिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन इसमें जो कंडीशन रखी गई है कि कोई भी विधायक 5 साल में एक बार लोन ले सकता है, दोबारा वह लोन नहीं ले सकता। इस बारे में मेरी रिक्वैस्ट है कि कोई गाड़ी डैमेज हो जाती है या ज्यादा चल चुकी होती है तो ऐसी हालत में मैम्बर का जितना बैलैंस लोन हो वह उसको वापिस लौटा दे तो उसको फिर से लोन लेने का प्रोवीजन रखा जाए। मेरा मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बात तो बहुत वाजिब कही है परन्तु इस समय बिल में अमैन्डमैंट करना सम्भव नहीं है। यदि अब बिल में अमैंडमैंट करते हैं तो विधान सभा में बिल इन्ट्रोडूस करने से पहले गवर्नर साहब से अनुमति लेनी पड़ेगी जो कि इस समय संभव नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी इस बारे में आपसे गुजारिश है कि इस समय इस बिल को as it is पास कर दिया जाये और अगले अधिवेशन में मैंबर ने जो सुझाव दिया है उस बारे इस बिल में अमैंडमैंट करके, गवर्नर साहब से अनुमति लेकर हाउस में पास करवा दिया जायेगा।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House stands adjourned sine-die.

* 12.34 hrs. (The Sabha then *adjourned sine-die.)

37455—H.V.S.—H.G.P., Chd.